रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 76] प्रयागराज, शनिवार, 18 जून, 2022 ई० (ज्येष्ठ 28, 1944 शक संवत्) [संख्या 25

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग.अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	593–602	3075
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	383–411	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	..	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	..	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	289–305	975
स्टोर्स–पचेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

नियुक्ति विभाग

अनुभाग-1

सेवानिवृत्ति

25 फरवरी, 2021 ई0

सं0 197/दो-1-2022-19/1(4)/2010—उत्तर प्रदेश संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 28 फरवरी, 2022 को अपरान्ह में भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्ति होंगे—

1—श्री मो0 इफ्तेखारूद्दीन, आई0ए0एस0 (आर0आर0-1985) प्रतीक्षारत।

2—श्री अब्दुल समद, आई0ए0एस0 (एस0सी0एस0-2009) विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

3—श्री अवनीश कुमार शर्मा, आई0ए0एस0 (एस0सी0एस0-2012), विशेष सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,
धनन्जय शुक्ला,
विशेष सचिव।

अनुभाग-4

कार्यालय-ज्ञाप

16 फरवरी, 2022 ई0

सं0 2/दो-4-2022—सहायक निबन्धक (एडमिन ए-1) मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या 07/IV-5307/एडमिन (ए-1), दिनांक 03 जनवरी, 2022 के क्रम में एम0जी0ओ0 के प्रस्तर-250 (2) में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत श्रीमती प्रिया का विवाहोपरान्त नाम परिवर्तित कर श्रीमती प्रिया नागर किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सं0 3/दो-4-2022—सहायक निबन्धक (एडमिन ए-1) मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या 05/IV-5211/एडमिन (ए-1), दिनांक 03 जनवरी, 2022 के क्रम में एम0जी0ओ0 के प्रस्तर-250 (2) में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत श्रीमती नाजमा का विवाहोपरान्त नाम परिवर्तित कर श्रीमती नाजमा गोमला किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

24 फरवरी, 2022 ई0

सं0 37/दो-4-2022-26/2(5)/2011—उप निबन्धक (एम0)/संयुक्त निबन्धक (एडमिन-1), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के विभिन्न पत्रों के क्रम में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारियों द्वारा अर्जित की गयी एल0एल0एम0 डिग्री/उपाधि को अधोलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों में रखे जाने की शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है—

क्र0 सं0	न्यायिक अधिकारी का नाम/पदनाम/तैनात स्थल	उप निबन्धक (एम0) संयुक्त निबन्धक (एडमिन-1) मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त पत्र संख्या एवं दिनांक	विश्वविद्यालय का नाम	डिग्री/उपाधि	वर्ष
1	2	3	4	5	6
	सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री—				
1	काव्या सिंह, सिविल जज (जू0डि0), गोण्डा	संख्या 616/IV-4460/एडमिन (ए-1), दिनांक 18-01-2022	लखनऊ विश्वविद्यालय	एल0एल0एम0	2016

1	2	3	4	5	6
	सर्वश्री / श्रीमती / सुश्री–				
2	नितिन कुमार राठी, सिविल जज (जू0डि0 इगलास, अलीगढ़	संख्या 676 / IV-5318 / एडमिन (ए-1), दिनांक 19-01-2022	जगन्नाथ विश्वविद्यालय, जयपुर राजस्थान	एल0एल0एम0	2014
3	संगीता गौर, सिविल जज (जू0डि0), गोरखपुर	संख्या 697 / IV-5327 / एडमिन (ए-1), दिनांक 19-01-2022	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	एल0एल0एम0	2018

02 मार्च, 2022 ई0

सं0 87 / दो-4-2022 / 26 / 2(5) / 2011–उप निबन्धक (एम0) / संयुक्त निबन्धक (एडमिन-1), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के विभिन्न पत्रों के क्रम में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारियों द्वारा अर्जित की गयी एल0एल0एम0 / पी0एच0डी0 डिग्री / उपाधि को अधोलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों में रखे जाने एवं तालिका के क्रमांक 1 एवं 2 पर अंकित अधिकारी के नाम के पहले डा0 लिखे जाने की शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है–

क्र0 सं0	न्यायिक अधिकारी का नाम / पदनाम / तैनात स्थल	उप निबन्धक (एम0) संयुक्त निबन्धक (एडमिन-1) मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त पत्र संख्या एवं दिनांक	विश्वविद्यालय का नाम	डिग्री / उपाधि	वर्ष
1	2	3	4	5	6
	सर्वश्री / श्रीमती / सुश्री–				
1	मंजरी रावल, सिविल जज (जू0डि0), बाराबंकी	संख्या 1731 / IV-5243 / एडमिन (ए-1), दिनांक 16-02-2022	बाबा साहब भीमराव विश्वविद्यालय	पी0एच0डी0	2021
2	अनामिका चौहान, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोण्डा	संख्या 1736 / IV-3174 / एडमिन (ए-1), दिनांक 16-02-2022	डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा	पी0एच0डी0	2018
3	दुष्यंत कुमार शर्मा, अपर जिला न्यायाधीश (जू0 डि0), मुरादाबाद	संख्या 1729 / IV-4969 / एडमिन (ए-1), दिनांक 16-02-2022	महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय	एल0एल0एम0	2017
4	अंजुम सैफी, सिविल जज (जू0डि0), ठाकुर द्वारा, मुरादाबाद	संख्या 1727 / IV-4524 / एडमिन (ए-1), दिनांक 16-02-2022	चौधरी चरण सिंह, विश्वविद्यालय, मेरठ	एल0एल0एम0	2017
5	मिथलेश कुमार तिवारी, तत्कालीन एडिशनल चीफ ज्यूडिशियन मजिस्ट्रेट सम्प्रति एडमिनिस्ट्रेटर जनरल एण्ड ऑफिशियल ट्रस्टी, उ0प्र0, सरकार, इलाहाबाद	संख्या 1652 / IV-3754 / एडमिन (ए-1), दिनांक 15-02-2022	काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	एल0एल0एम0	2007

आज्ञा से,
घनश्याम मिश्रा,
विशेष सचिव।

अनुभाग-2

24 फरवरी, 2022 ई0

सं0 011/2022/127/दो-2-2022-22(83)/98—उ0प्र0 सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के उच्चतम वेतनमान, वेतन बैण्ड-4, रु0 37,400-67,000 ग्रेड पे रु0 10,000 (लेवल-14) में पदोन्नति हेतु दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 को विभागीय चयन समिति की बैठक सम्पन्न हुई। तत्समय श्री घनश्याम सिंह, तत्कालीन पी0सी0एस0 1997 सम्प्रति आई0ए0एस0 के विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित/प्रचलित होने के कारण उक्त वेतनमान में श्री सिंह की प्रोन्नति नहीं हो सकी तथा इनके सम्बन्ध में विभागीय चयन समिति की संस्तुति मोहर बन्द लिफाफे में रखी गयी, जबकि इनसे कनिष्ठ अधिकारी को दिनांक 07 दिसम्बर, 2017 को उच्चतम वेतनमान में प्रोन्नत किया गया। श्री घनश्याम सिंह के विरुद्ध प्रचलित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही शासन के आदेश दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 द्वारा बिना दण्ड के समाप्त होने के फलस्वरूप दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 को सम्पन्न विभागीय चयन समिति की बैठक में समिति द्वारा मोहर बन्द लिफाफे में की गयी संस्तुति के दृष्टिगत श्री घनश्याम सिंह, विशेष सचिव, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, उ0प्र0 शासन को उचच्तम वेतनमान, वेतन बैण्ड-4, रु0 37,400-67,000 ग्रेड पे रु0 10,000 (लेवल-14) में उनके कनिष्ठ की प्रोन्नति की तिथि 07 दिसम्बर, 2017 से प्राकल्पिक प्रोन्नति प्रदान करने की महामहिम राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2—श्री घनश्याम सिंह दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 से दिनांक 30 मार्च, 2020 तक निलम्बित रहे हैं एवं उनके द्वारा इस अवधि में कोई कार्य नहीं किया गया है। अतएव उक्त प्राकल्पिक प्रोन्नति के फलस्वरूप श्री सिंह को वेतन एरियर देय नहीं होगा।

आज्ञा से,
डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव।

गृह विभाग

[गोपन]

अनुभाग-4

नियुक्ति

28 दिसम्बर, 2021 ई0

सं0 100रा0/21-7/2/2020-सी0एक्स0-4—उत्तर प्रदेश राज्यपाल सचिवालय राजपत्रित अधिकारी और निजी सचिव सेवा नियमावली, 1986 (यथासंशोधित) के नियम 16 (1) के अधीन गठित चयन समिति की संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री साइमन डेविड पॉल, समीक्षा अधिकारी को दिनांक 09 सितम्बर, 2021 से अनुभाग अधिकारी के रिक्त पद वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (रु0 56,100-1,77,500) पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

सं0 109रा0/21-7/2/2020-सी0एक्स0-4—उत्तर प्रदेश राज्यपाल सचिवालय राजपत्रित अधिकारी और निजी सचिव सेवा नियमावली, 1986 (यथासंशोधित) के नियम 16 (1) के अधीन गठित चयन समिति की संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री संजय दीक्षित, अनुभाग अधिकारी को दिनांक 09 सितम्बर, 2021 से अनु सचिव के रिक्त पद वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (रु0 67,700-2,08,700) पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

आज्ञा से,
कृष्ण गोपाल,
विशेष सचिव।

[पुलिस सेवायें]

अनुभाग-1

प्रोन्नति

09 मार्च, 2022 ई0

सं0 428/छःपु0से0-1-2020-01(अधियाचन)/2021—चयन वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में पुलिस निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नति कोटे में अवधारित रिक्तियों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के अधीन गठित विभागीय चयन समिति की दिनांक 01 जनवरी, 2022 को सम्पन्न बैठक में सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति पत्र संख्या 65/03/पी/सेवा-1/2021-22, दिनांक 04 जनवरी, 2022 द्वारा उपलब्ध करायी गयी। तद्क्रम में कार्यालय आदेश संख्या 19/छःपु0से0-1-2022-01(अधियाचन)/2021, दिनांक 05 जनवरी, 2022 द्वारा 31 दिसम्बर, 2021 तक उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष 26 पुलिस निरीक्षकों व कार्यालय आदेश संख्या 200/छःपु0से0-1-2022-01(अधियाचन)/2021, दिनांक 02 फरवरी, 2022 को 04 पुलिस निरीक्षकों अर्थात् कुल 30 पुलिस निरीक्षकों की पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नत किये जाने का आदेश निर्गत किया जा चुका है।

2—अब चयन वर्ष 2021-22 में 28 फरवरी, 2022 में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष विभागीय चयन समिति की उक्त संस्तुति के अनुक्रम में पुलिस सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त एवं कार्यरत निम्नलिखित निरीक्षक नागरिक पुलिस, प्रतिसार निरीक्षक एवं दलनायक को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पुलिस उपाधीक्षक, साधारण वेतनमान (वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे रु0 5,400 पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे लेवल-10 रु0 56,100-1,77,500) में प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

क्र0	कार्मिक का नाम	ज्येष्ठता सूची का क्रमांक (पुराना)	ज्येष्ठता सूची का क्रमांक (नया)
1	2	3	4
	सर्वश्री/श्रीमती—		
1	अतुल प्रधान	176	53
2	राजेश कुमार राय	177	54
3	रवीन्द्र कुमार गौतम	179	55
4	विजय कुमार सिंह	182	58
5	संगम लाल मिश्रा	183	59
6	मीनाक्षी शर्मा	184	60
7	कमल सिंह चौहान	186	61

प्रश्नगत चयन रिट याचिका संख्या 34799 (एस/एस)/2019 में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्ड पीठ लखनऊ में पारित आदेश दिनांक 22 सितम्बर, 2021 के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या 410/2021 उ0प्र0 राज्य बनाम विजय सिंह तथा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में लम्बित रिट याचिका संख्या 20914/2018 केशव चन्द्र राय बनाम उ0प्र0 राज्य एवं तद्सम्बन्धी अन्य रिट याचिकाओं सहित यदि कोई प्रत्यावेदन/विभागीय कार्यवाही लम्बित हो तो उसमें पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

3—उपर्युक्त प्रोन्नत आदेश में सम्मिलित कार्मिकों की तैनाती से पूर्व पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0/अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्मिकों के विरुद्ध किसी भी

प्रकार की विभागी/अनुशासनिक कार्यवाही एवं ई0ओ0डब्लू0/ए0सी0ओ0/सीबीसीआईडी/सतर्कता जांच आदि प्रचलित/लम्बित नहीं है। इस सम्बन्ध में अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ0प्र0, लखनऊ स्वयं संतुष्ट हो लेंगे और यदि पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नत किसी कार्मिक के विरुद्ध कोई भी प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो तत्काल सम्बन्धित कार्मिक की प्रोन्नति प्रतिबन्धित करते हुये उसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

4—पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नत कार्मिकों की तैनाती का आदेश निर्गत किये जाने से पूर्व अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रोन्नत कोटे में रिक्ति वास्तविक रूप से उपलब्ध है। प्रोन्नति कोटा में वास्तविक रूप से रिक्तियां उपलब्ध होने पर ही प्रोन्नत आदेश के सापेक्ष निर्गत किया जायेगा। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 790/सी0ई0आ0-1-02/2022टी0सी0-2, दिनांक 02 फरवरी, 2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि उ0प्र0 लोक सेवा आयोग की संस्तुति के क्रम में पदोन्नति आदेश निर्गत करने में आयोग से अनुमति की आवश्यकता नहीं है, परन्तु उक्त अधिकारियों के स्थानान्तरण/तैनाती संबंधी आदेश निर्गत किये जाने से पूर्व भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

5—उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारी 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे।

अनुभाग-8

पदोन्नति

16 मार्च, 2022 ई0

सं0 375/छःपु0-8-2022-42/2001 टी0सी0-II—अग्निशमन विभाग, उ0प्र0 में मुख्य अग्निशमन अधिकारी के रिक्त पदों पर प्रोन्नति हेतु लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा उपयुक्त पाये गये निम्नलिखित अग्निशमन अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पर पुनरीक्षित नये वेतनमान में पे मैट्रिक्स लेवल-10 (पुराना वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन 5,400) में पदोन्नत कर नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

क्रमांक	अधिकारी का नाम
1	2
	सर्वश्री—
1	सुरेन्द्र चौबे
2	राधेश्याम सिंह

2—उक्त अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

3—उक्त पदोन्नति प्राप्त अधिकारियों के तैनाती सम्बन्धी आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

अनुभाग-9

अधिसूचना

(शक्ति)

21 मार्च, 2022 ई0

सं0 922/छः-पु0-9-22-20(10)(16)/88 टी0सी0—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 02 सन् 1974) की धारा 21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय, प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित

विषम समेस्टर परीक्षा/विशेष बैक पेपर परीक्षा, दिसम्बर, 2021 के समस्त केन्द्रों के अधीक्षकों को जैसा कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 17 सन् 1962) की धारा 2 के खण्ड (ढ) में परिभाषित है, दिनांक 22 मार्च, 2022 से 02 अप्रैल, 2022 तक की अवधि के लये कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहलायेंगे, नियुक्त करते हैं और उन्हें सम्बन्धित केन्द्रों, जिनके वे अधीक्षक हैं, की सीमा के भीतर के क्षेत्रों के लिये कार्यपालक मजिस्ट्रेट की ऐसी सभी शक्तियां प्रदान करते हैं, जो उक्त संजिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रदान की जा सकती है।

आज्ञा से,
बी0डी0 पॉल्सन,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **No. 922/VI-P-9-22-20(10)(16)/88T.C.,** Dated *March*, 21, 2022 :

NOTIFICATION

(POWERS)

Lucknow : Dated March 21, 2022

No. 922/VI-P-9-22-20(10)(16)/88T.C.–In exercise of the power under Section 21 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974), the Governor is pleased to appoint with effect from March 22, 2022 till April 02, 2022 all the Superintendents of the Centres of Odd Semester/Special Back Paper Examination December, 2021 conducted by Board of Technical Education, Uttar Pradesh as defined in clause (*n*) of Section 2 of Uttar Pradesh Technical Education Act, 1962 (U. P. Act No. XVII of 1962) as Executive Magistrates, to be known as Special Executive Magistrate and to confer on them all the powers of the Executive Magistrates as are conferrable under the said code on such Executive Magistrate to be exercised within the limits of the respective centres of which they are the Superintendents.

By order,
B. D. PAULSON,
Sachiv.

विधान परिषद् सचिवालय उत्तर प्रदेश

[अधिष्ठान]

सेवानिवृत्ति

16 फरवरी, 2022 ई0

सं0 345 (अधिष्ठान)/वि0प0-267/84–श्री राम नयन, उप सचिव, विधान परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश अपनी 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के पश्चात् दिनांक 28 फरवरी, 2023 के अपराह्न से सेवानिवृत्ति हो जायेंगे।

आज्ञा से,
डा0 राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

राजस्व विभाग

अनुभाग-8

सेवानिवृत्ति

18 फरवरी, 2022 ई0

सं0 349/एक-8-2022—चकबन्दी आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या 496/ई0-123/2018-19 (से0नि0) दिनांक 11 फरवरी, 2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के आधार पर उ0प्र0 चकबन्दी सेवा के निम्नलिखित अधिकारीगण 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर तालिका के कालम-4 में उल्लिखित तिथि से सेवानिवृत्त होंगे—

क्र0सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम	जन्म-तिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि
1	2	3	
	सर्वश्री—		
1	राम सुधाकर सिंह, बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, मुरादाबाद	10-07-1962	31-07-2022
2	राकेश कुमार, बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, महोबा	05-07-1962	31-07-2022
3	कैलाश भारती, बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, देवरिया	25-08-1962	31-08-2022
4	शिशिर कुमार त्रिपाठी, बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, रायबरेली	04-08-1962	31-08-2022
5	गिरिजा शंकर, बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, ललितपुर	08-10-1962	31-10-2022
6	डा0 संजय राय, बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, वाराणसी	20-10-1962	31-10-2022
7	चौ0 सुरेन्द्र प्रसाद, बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, संतकबीर नगर।	06-12-1962	31-12-2022

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

राज्य कर विभाग

अनुभाग-1

पदोन्नति

21 फरवरी, 2022 ई0

सं0 राज्य कर-1-229/11-2022-1035(25)/2014—वाणिज्य कर विभाग के श्री दीपक कुमार (ज्येष्ठता क्रमांक-1838) उप आयुक्त को संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर वेतनमान रु015,600-39,100 ग्रेड पे रु0 7,600 (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर निर्देश याचिका संख्या 44/2021 में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन उनके आसन्न कनिष्ठ श्री शिशिर प्रकाश (ज्येष्ठता क्रमांक-1842) की संयुक्त आयुक्त के पद पर पदोन्नति की तिथि से पदोन्नति एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित पदोन्नति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

2—श्री दीपक कुमार पदोन्नति के उरान्त तैनाती आदेश निर्गत होने तक अपने वर्तमान पद पर कार्य करते रहेंगे। इनके तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

तैनाती

22 फरवरी, 2022 ई0

सं0 राज्य कर-1-238/11-2022-13/2020—श्रीमती गीता सिंह, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 सम्बद्ध आयुक्त, वाणिज्य कर मुख्यालय को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 (विधि/जी0एस0टी0) वाणिज्य कर के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

2—उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

अनुभाग-4

पदोन्नति

24 फरवरी, 2022 ई0

सं0 87/11-4-2022-30(12)/21—वाणिज्य कर विभाग के एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर के पद पर कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, सदस्य (विभागीय), वाणिज्य कर अधिकरण के पद पर वेतनमान रु0 37,400-67,000एवं ग्रेड वेतन रु0 10,000 पे मैट्रिक्स लेवल-14 एतद्द्वारा पदोन्नत करते हुये स्तम्भ-3 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है—

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	तैनाती का स्थान
1	2	3
	सर्वश्री—	
1	मुक्तिनाथ वर्मा	पीठ-2, प्रयागराज
2	विजय कुमार मिश्रा	पीठ-2, मेरठ

उक्त आदेश दिनांक 01 मार्च, 2022 से प्रभावी होगा।

आज्ञा से,
संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव।

नियोजन विभाग

अनुभाग-1

नियुक्ति

16 फरवरी, 2022 ई0

सं0 62/35-1-2022-2/1(30)/2014 टी0सी0-1—राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग), उ0प्र0 लखनऊ के अन्तर्गत अपर सांख्यिकीय अधिकारी के पद से शोध अधिकारी (प्राविधिक) के पदोन्नति कोटे के रिक्त 10 पदों पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती हेतु किये गये चयन की संस्तुति पर मा0 आयोग के अनुमोदन के आधार पर निम्नलिखित अपर सांख्यिकीय अधिकारी को शोध अधिकारी (प्राविधिक) वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे रु0 5,400 के पद पर तात्कालिक प्रभाव से उनकी तैनाती के स्थान पर पदोन्नति प्रदान कर नियमित रूप से नियुक्त करते हुये उ0प्र0 नियोजन शोध सेवा नियमावली, 1682 (यथा संशोधित 1994) के विहत प्राविधानों के अन्तर्गत शोध अधिकारी (प्राविधिक) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाता है—

1—श्री विनय कुमार बिष्ट
2—श्री देवेन्द्र सिंह सोलंकी

3—श्री पुष्पेन्द्र कुमार

4—श्रीमती योजना

5—श्री प्रभाकर चन्द्र विश्वकर्मा

आज्ञा से,
सुरेश चन्द्रा,
अपर मुख्य सचिव।

कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग

अनुभाग-1

प्रोन्नति

18 फरवरी, 2022 ई0

सं0 219/22-1-2022-17/2003-I—कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में निम्नलिखित कारपालों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज से प्राप्त संस्तुति के आधार पर अधीक्षक कारागार वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे रु0 5,400 (यथा संशोधित पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 रु0 56,100-1,77,500 के पद पर अस्थायी रूप से प्रोन्नति प्रदान करते हुये 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखे जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

चयन वर्ष 2020-21—

क्रमांक	नाम
1	2
	सर्वश्री—
1	प्रमोद कुमार त्रिपाठी
2	भोलानाथ मिश्र

चयन वर्ष 2021-22—

क्रमांक	नाम
1	2
	सर्वश्री—
1	रमाकान्त
2	धर्मपाल सिंह
3	शिव कुमार यादव
4	राम शिरोमणि यादव

2—यदि कोई याचिका अथवा प्रत्यावेदन विचाराधीन है, तो प्रश्नगत पदोन्नति उक्त रिट याचिका/प्रत्यावेदन में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

3—उक्त अधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक् से जारी किये जायेंगे।

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

पी0एस0यू0पी0—12 हिन्दी गजट—भाग 1—2022 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 18 जून, 2022 ई० (ज्येष्ठ 28, 1944 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

[ESTABLISHMENT SECTION]

CORRIGENDUM

January 05, 2022

No. 9216/Establishment : Allahabad--In partial modification to the notification no. 107 dated January 04, 2022, 'pay scale of level 13 (Rs. 1,18,500-2,14,100)' may be read as 'pay scale of Level-13 (Rs. 1,23,100-2,15,900)' and in the notification no. 108 dated January 04, 2022, 'in the vacancy to be occurred due to promotion of Sri Sanjay Pratap Singh' may be read as 'in the vacancy to be occurred due to promotion of Sri Irshad Ahmad Siddiqui.

(*Sd.)* ILLEGIBLE,
Registrar General.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

[ACCOUNTS (C-3) SECTION]

NOTIFICATION

February 03, 2022

No. 123--The following Deputy Registrar-cum-Private Secretaries Grade-III are hereby granted the benefits of Third Financial Upgradation under A. C. P. Scheme *i.e.* immediate next higher Grade Pay to the

Grade Pay being paid before the date of admissibility of said Third Financial Upgradation *w.e.f.* the date mentioned against their names in terms of G. O. no. Ve.Aa.-2-773/X-62(M)/2008 dated November 05, 2014.

Sl. No.	Emp. No.	Name	Date of Grant of Third Financial Upgradation under A.C.P. Scheme
1	2	3	4
		S./Sri.-	
1	1509	Om Krishna Chaudhary	13-07-2021
2	1511	Naseemuddin	28-09-2021
3	1512	Rajesh Kumar Singh	29-09-2021

No. 124–The following Private Secretaries Grade-I are hereby granted the benefits of Second Financial Upgradation under A. C. P. Scheme i.e. immediate next higher Grade Pay to the Grade Pay being paid before the date of admissibility of said Second Financial Upgradation w.e.f. the date mentioned against their names in terms of G. O. no. Ve.Aa.-2-773/X-62(M)/2008 dated November 05, 2014 :

Sl. No.	Emp. No.	Name	Date of Grant of Second Financial Upgradation under A.C.P. Scheme
1	2	3	4
		S./Sri.-	
1	3530	Sanjeev Ranjan	14-09-2021
2	3533	Km. Pratima Agrahari	11-09-2021
3	3582	Arun Kumar Srivastava	10-12-2021
4	6956	Shashi Shekher Pandey	10-12-2021
5	3584	Ram Singh, *Lko.*	10-12-2021 A.N.
6	3553	Shiraz Ali	10-12-2021
7	6891	Salim Pravej	10-12-2021
8	3587	Faraz Ahmad	10-12-2021
9	6915	Sachin Mehrotra, *Lko.*	10-12-2021 A.N.
10	3589	Dhirendra Tamang	10-12-2021
11	3590	Anil Kumar Shukla	10-12-2021
12	3591	Nipendra Singh Rathour	10-12-2021
13	3593	Ajay Kumar	10-12-2021

1	2	3	4	
		S./Sri.-		
14	3594	Anuj Pratap Singh, *Lko.*	10-12-2021	
15	3560	Sazia Aquil	10-12-2021	
16	3596	Nitendra Tiwari	10-12-2021	
17	3588	Anand Verma	10-12-2021	
18	3586	Amit Kumar Mishra	10-12-2021	
19	3597	Chandra Prakash	10-12-2021	
20	6890	Virendra Kumar Gupta, *Lko.*	10-12-2021	A.N.
21	3601	Mukesh Srivastava	10-12-2021	
22	3602	Shashi Prakash	10-12-2021	
23	6882	Renu Agrawal, *Lko.*	10-12-2021	A.N.
24	3598	Jaswant Kumar	10-12-2021	
25	3585	Subodh Kumar Singh, *Lko.*	10-12-2021	A.N.
26	3606	Gautam Kumar Sinha, *Lko.*	10-12-2021	A.N.
27	3539	Manish Tripathi	14-12-2021	
28	3608	Smt. Jyoti Rajwani, *Lko.*	10-12-2021	A.N.
29	3609	Dhirendra Kumar	10-12-2021	
30	3603	Santosh Kumar, *Lko.*	10-12-2021	A.N.
31	7357	Arun Kumar Singh	10-12-2021	
32	3611	Nitesh Kumar Tewary, *Lko.*	10-12-2021	A.N.
33	3612	Km. Priyanka Kushwaha	10-12-2021	
34	3613	Rabindra Kumar, *Lko.*	11-12-2021	
35	3595	Sumaira Aquil	10-12-2021	

By Order of Hon'ble Court,
(*Sd.)* ILLEGIBLE,
Registrar (*J*),
(Selection & Appointment).

SUPREME COURT OF INDIA

NEW DELHI

OFFICE ORDER

February 18, 2021

No. F-6/2021-SCA(I)/2021–Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to appoint Shri Vinod Singh Rawat, Principal Judge, Family Court, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh (presently working) in diverted capacity as Officer on Special Duty in the grade of Registrar as Registrar, on deputation basis, initially for a period of one year, with effect from afternoon of 18th February, 2021.

(*Sd.)* ILLEGIBLE,
DEEPAK JAIN,
Registrar (*Admn.-I*).

Charge Certificate

(Handing Over)

February 28, 2022

No. 271/I--Certified that the charge of office of the District & Sessions Judge, Barabanki, has been handed over under the orders of the Hon'ble High Court's *vide* Notification No. 17/Admin. (Services)/2022, dated : Allahabad : January 09, 2022, as herein denoted, by me in the afternoon of January 12, 2022.

Relieved Officer — Radhey Shyam Yadav,
ID No. UP-1498.

Relieving Officer — (XX)

Countersigned,
(*Sd.)* ILLEGIBLE,
Registrar (*Services*),
Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Confidential 'A' Section

Corrigendum

September 30, 2021

No. 12140/2021/Admin. G-I/Allahabad--Issuance of Corrigendum with of Gazette Notification of Allahabad High Court (Amendment) Rules, 2018 (Court's) Notification No. 218/VIIIc dated August 20, 2018 (Correction Slip No. 261), published in the Official Gazette dated September 15, 2018.

"in sub-clause (d) of clause (ii) of Rule 2 of Chapter V, the word "ruppes", after the words "fifty lakh", be read as "rupees".

By order of the Court,
BRIJESH KUMAR SHARMA,
Registrar (*j*) (*Inspection*).

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Amendment (Admin. 'G-I') Section

NOTIFICATION

May 23, 2022

Correction Slip No. 270–

No. 366/VIIIc, Allahabad–In exercise of the powers conferred by Article 225 of the Constitution of India and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Judicature at Allahabad is pleased to make the following amendment in the Allahabad High Court Rules, 1952 Volume-I, which shall come into force on July 01, 2022.

The Allahabad High Court (Amendment) Rules, 2022

1. Short title and commencement.–(1) These Rules may be called the Allahabad High Court (Amendment) Rules, 2022.

(2) These Rules shall come into force on July 01, 2022.

2. Definition.–In these Rules, unless the context otherwise requires, "Rules" mean the Allahabad High Court Rules, 1952.

3. Amendment of Rule 2(ii) (b) of Chapter V.– In the Rule 2(ii) (b) of Chapter V of the Rules, the punctuation and the words", in which the value of the appeal for the purpose of jurisdiction does not exceed fifty lakh rupees", shall stand deleted.

4. Amendment of Rule 2(ii) (d) of Chapter V.– In the Rule 2(ii) (d) of Chapter V of the Rules, the words "in which the value of the appeal does not exceed fifty lakh rupees", shall stand deleted.

By order of the Court,
ASHISH GARG,
Registrar General.

कार्यालय, महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश लखनऊ

18 नवम्बर, 2021 ई0

सं0 2579(1-14)/अनु0-2/तीन-ए-425/शि0का0लख0/2021–सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा, 2020 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-4 के पत्र संख्या-167/आ/का-4-2021, दिनांक 16 अगस्त, 2021 द्वारा आवंटित अभ्यथियों की सूची के अनुसार अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण कराते हुये नियुक्ति-पत्र निर्गत करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। कार्मिक अनुभाग-4 के पत्र दिनांक 16 अगस्त, 2021 के अनुक्रम में नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुये सुश्री माधुरी गौतम पुत्री श्री कतवारू राम, निवासी-ग्राम बसारतपुर, पोस्ट धवरियासाथ, थाना कोपागंज, तहसील मऊनाथ भन्जन, जनपद मऊ को उप रजिस्ट्रार के पद पर वेतन बैण्ड-3, वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 5,400.00 यथा संशोधित पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10, रु0 56,100/- से रु0 1,77,500/- में पदभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है :

2–सुश्री माधुरी गौतम, उप-रजिस्ट्रार के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगे तथा परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि यह परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा

उत्तीर्ण करने में विफल रहते हैं अथवा इनके कार्य एवं आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि यह उप रजिस्ट्रार के पद पर स्थायी नियुक्ति के लिये उपयुक्त नहीं है तो इनकी सेवायें बिना किसी प्रतिकर के उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-19 (3) के अनुसार परिवीक्षा अवधि के मध्य अथवा अन्त में समाप्त कर दी जायेगी। सुश्री माधुरी गौतम को देय वेतन इत्यादि उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-22 एवं 23 तथा समय-समय पर यथा-संशोधित नियमों के अधीन अनुमन्य होंगी। यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है तथा किसी भी समय एक माह की नोटिस अथवा एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

3—नियुक्ति आदेश की प्राप्ति पर उप रजिस्ट्रार के पद पर, पदभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र/सूचनायें प्रस्तुत की जायेगी :

1—आयु, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता/आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां।

2—केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत की गयी अब तक की सेवा के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।

3—इण्डियन आफिसियल सिक्रेट्स एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।

4—अपने कर्जदार न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

5—एक से अधिक पत्नी/पति न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

6—समस्त चल-अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप पर घोषणा-पत्र।

7—दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र मूलरूप में।

8—भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

4—नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 (समय-समय पर संशोधित) के प्राविधानों से शासित होगी तथा ऐसी अन्य समस्त शर्तें भी उन पर लागू होगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

5—नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-20 तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के अन्तर्गत स्थायीकरण किया जायेगा।

6—विहित प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त स्वतंत्र रूप से उप रजिस्ट्रार के पद पर तैनाती होने पर रु0 750.00 (रु0 सात सौ पचास मात्र) का बचत पत्र महानिरीक्षण निबन्धन, उत्तर प्रदेश के पक्ष में जमानत के रूप में तैनाती स्थल के जिला में जमा करनी होगी तथा साक्ष्य स्वरूप छायाप्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

7—नव नियुक्त/उप रजिस्ट्रार पदभार ग्रहण करने की तिथि से उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम 18(6) के अन्तर्गत छः सप्ताह का प्रशिक्षण उप निबन्धक कार्यालय, सदर द्वितीय जनपद प्रयागराज से सम्बद्ध रहकर नियमानुसार प्राप्त करेंगी। प्रशिक्षण की अवधि में शासनादेश संख्या 253/नौ-आर/20-1927, दिनांक 29 अगस्त, 1927 के अन्तर्गत अंगूठा लेने का भी प्रशिक्षण जिला पुलिस कार्यालय से प्राप्त करेंगे।

8—सुश्री माधुरी गौतम को सूचित किया जाता कि वह नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् दिनांक 27 नवम्बर, 2021 तक सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, प्रयागराज के कार्यालय में पदभार ग्रहण करने हेतु अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगी तथा उपर्युक्त प्रस्तर-3 में उल्लिखित अभिलेखों/घोषणा पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। यदि सुश्री गौतम दिनांक 27 नवम्बर, 2021 तक योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करते है, तो यह नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी, जिसके उपरान्त कोई भी निवेदन/प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

9—सुश्री माधुरी गौतम, उप रजिस्ट्रार के पद पर पदभार ग्रहण करने के उपरान्त सम्बन्धित उप निबन्धक कार्यालय में प्रशिक्षण के मध्य दिनांक 22 नवम्बर, 2021 से दिनांक 03 दिसम्बर, 2021 तक कार्यालय महानिरीक्षण

निबन्धन, उत्तर प्रदेश शिविर, लखनऊ में उपस्थित रहकर सैद्धांतिक/व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। सैद्धांतिक/व्यवसायिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त शेष अवधि का व्यवहारिक प्रशिक्षण सम्बन्धित उप निबन्धक कार्यालय में उपस्थित होकर प्रात करेंगे।

10—सुश्री माधुरी गौतम, उप रजिस्ट्रार को प्रथम नियुक्ति पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिये कोई यात्रा-भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

डॉ0 रोशन जैकब,
आई0ए0एस0,
महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
(नियुक्ति प्राधिकारी)।

कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ

व्यवस्थापन (घ) वर्ग

07 सितम्बर, 2021 ई0

सं0 2955/व्यघ/09 व्यघ/2020—इस कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप सं0 2047 व्यघ/9 व्यघ/2020, दिनांक 07 जुलाई, 2021 के क्रमांक-49 पर अंकित श्री सन्तोष कुमार पुत्र श्री लालाराम को राजपत्रित प्रतिष्ठा प्रदान किये जाने के आदेश पारित किये गये, जिसमें वर्तमान तैनाती खण्ड, निर्माण खण्ड 1, लो0नि0वि0, लखनऊ अंकित हो गया। उक्त कार्यालय ज्ञाप में वर्तमान तैनाती खण्ड निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, लखनऊ के स्थान पर निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, बाराबंकी पढ़ा एवं माना जाये। शेष कार्यालय ज्ञाप यथावत् रहेगा तथा उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

शैलेन्द्र कुमार यादव,
वरिष्ठ स्टाफ आफीसर (ई-2),
लो0नि0वि0, लखनऊ।

कार्यालय, अधिशासी निदेशक,
उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम,
742, जवाहर भवन, लखनऊ

04 दिसम्बर, 2021 ई0

सं0 983 स्था0/बत्तीस-2021—कार्यालय आदेश सं0-19 स्था0 दिनांक 04 दिसम्बर, 2021 द्वारा श्री श्रीकान्त द्विवेदी, विक्रेता/लेखालिपिक, राजकीय मुद्रणालय डिपो, प्रयागराज के विरुद्ध कतिपय आरोपों में निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण में जांच हेतु श्री कश्मीर सिंह, प्रबन्धक, सहायक मण्डल प्रभारी पूर्वी को जांच अधिकारी नामित किया गया। श्री द्विवेदी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में उक्त आदेश को अपास्त करने हेतु रिट याचिका सं0 8172/2021 योजित की गयी।

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा सुनवाई हेतु नियत तिथि 23 जुलाई, 2021 को पारित आदेश में याची श्री द्विवेदी का निलम्बन सम्बन्धी आदेश सं0 19 स्था0 दिनांक 04 जनवरी, 2021 स्थगित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 23 जुलाई, 2021 के समादर में का0 आ0 सं0 724 स्था0 दिनांक 25 अगस्त, 2021 द्वारा याची श्री द्विवेदी का उक्त निलम्बन आदेश स्थगित किया गया, साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त आदेश मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अधीन होगा।

निगम में उपलब्ध अभिलेखानुसार श्री श्रीकान्त द्विवेदी की जन्मतिथि दिनांक 26 दिसम्बर, 1961 अंकित है। उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा नियमावली, 1995 नियम-26 के अनुसार श्री द्विवेदी की अधिवर्षता आयु दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 को पूर्ण हो रही है। चूंकि श्री द्विवेदी का प्रकरण वर्तमान में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अधीन है। विभागीय कार्यवाही चल रही है। अतः दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 के अपरान्ह् से श्री द्विवेदी सेवानिवृत्त हो जायेंगे। श्री द्विवेदी के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अन्तिम निर्णय के पश्चात् श्री द्विवेदी के सेवानिवृत्तक देयकों के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

ओम प्रकाश वर्मा,
अधिशासी निदेशक।

कार्यालय, जिलाधिकारी, शाहजहांपुर

कार्यालय ज्ञाप

22 मार्च, 2021 ई0

सं0 222/नाजिर सदर/2021—जनपद शाहजहांपुर में कलेक्ट्रेट, तहसीलों में सभी प्रकार की रद्दी के विक्रय हेतु दिनांक 05 मार्च, 2021 को आयोजित सार्वजनिक निविदा/बोली के दौरान श्री मो0 नईम खां पुत्र मो0 हनीफ खां (मो0 नं0 9236687172) निवासी आवास विकास कालोनी, जनपद शाहजहांपुर की उच्चतम बोली की दर अंकन 13.50 प्रति किलो यानी 1,350.00 प्रति कुन्टल प्राप्त होने पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपने आदेश दिनांक 06 मार्च, 2021 के रद्दी ठेका वर्ष 2021-22 श्री मो0 नईम (उपरोक्त) के पक्ष में स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत रद्दी की दरें दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक प्रभावी रहेंगी। ठेकेदार को निर्धारित दर पर रद्दी उठाने का अधिकार प्राप्त होगा, रद्दी उठाने पर होने वाला सभी प्रकार का व्यय ठेकेदार स्वयं वहन करेगा। रद्दी की विक्रय के सम्बन्ध में अपेक्षित है कि रद्दी का विक्रय/तौल अपने किसी विभागीय अधिकारी की उपस्थिति मे ही करायें और वजन के अनुसार रद्दी का मूल्य आगणित करते हुये प्राप्त धनराशि ट्रेजरी चालान के माध्यम से निम्नलिखित हेड में जमा कराकर उसकी सूचना नजारत अनुभाग कलेक्ट्रेट शाहजहांपुर में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें।

लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत संबंधित विभाग द्वारा विक्रय रद्दी की कीमत जमा करना है।

0058—स्टेशनरी एण्ड प्रिन्टिंग, उ0प्र0, इलाहाबाद।

01—स्टेशनरी रिसीट—रद्दी की बिक्री से आय।

0058-00-800-01-01

(ह0 अस्पष्ट),
प्रभारी अधिकारी नजारत,
कृते जिलाधिकारी,
शाहजहांपुर।

प्रारूप—1

नियम-3 का उपनियम (1)

सामाजिक समाघात निर्धारण का प्रारम्भिक अधिसूचना

एस0आई0ए0 अधिसूचना

06 सितम्बर, 2021 ई0

सं0 540(i)/आठ-वि0भू0अ0अ0(सं0सं0) प्रयागराज—राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्र के ग्राम/वार्ड स्तर के सम्बन्धित पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम जैसी भी स्थिति हो परामर्श करके निम्नांकित भूमि के अर्जन का प्रयोजन करेगी और लोक हित में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन को क्रियान्वित करेगी। भूमि अर्जन, पुनर्वासन

और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 में दिये गये प्रावधान के अन्तर्गत अध्ययन किया गया है :

1	अपेक्षक निकाय का नाम	अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0 नि0 वि0, प्रयागराज।
2	प्रस्तावित भूमि के अर्जन का उद्देश्य	तहसील मेजा के अन्तर्गत बामपुर मार्ग पर सम्पार संख्या-17सी पर उत्तर मध्य रेलवे के मुगलसराय, इलाहाबाद सेक्शन डी0एफ0सी0सी0 रूट पर दो लेन रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु।
3	संगठन जिसके द्वारा अध्ययन किया जायेगा	पंत संस्थान, सामाजिकी वानिकी, संघटक, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
4	संगठन का सम्पर्क विवरण	पंत संस्थान, सामाजिकी वानिकी, झूंसी, प्रयागराज मो0 नं0 9452165071

भूमि का विवरण :–

क्र0 सं0	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
				(हे0)
1	मेजा	सरवनपुर	70	0.0740
		कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		**0.0740**
2	मेजा	बादपुर उपरहार	917	0.0140
3	मेजा	बादपुर उपरहार	911	0.0150
4	मेजा	बादपुर उपरहार	916	0.0140
5	मेजा	बादपुर उपरहार	915	0.0080
6	मेजा	बादपुर उपरहार	913	0.0060
7	मेजा	बादपुर उपरहार	912	0.0060
8	मेजा	बादपुर उपरहार	909	0.0110
9	मेजा	बादपुर उपरहार	929	0.0150
10	मेजा	बादपुर उपरहार	930	0.0100
11	मेजा	बादपुर उपरहार	931	0.0200
12	मेजा	बादपुर उपरहार	938	0.0090
13	मेजा	बादपुर उपरहार	939	0.0050
14	मेजा	बादपुर उपरहार	940	0.0090
15	मेजा	बादपुर उपरहार	942-ख	0.0540
16	मेजा	बादपुर उपरहार	914	0.0050
17	मेजा	बादपुर उपरहार	942-क	0.0113

		कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		**0.2123**
1	2	3	4	5
				(हे0)
18	मेजा	चकडीहा	83	0.0008
19	मेजा	चकडीहा	84	0.0910
20	मेजा	चकडीहा	156	0.0162
21	मेजा	चकडीहा	137-मि0	0.0460
22	मेजा	चकडीहा	93	0.0110
23	मेजा	चकडीहा	94	0.0120
			कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	**0.1770**
			कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	**0.4633**

1	प्रस्तावित परियोजना से होने वाले लाभ का संक्षिप्त विवरण	प्रस्तावित सम्पार संख्या 17-सी उत्तर मध्य रेलवे के मुगलसराय-इलाहाबाद सेक्शन (डी0एफ0सी0सी0 रूट पर) दो लेन रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण किया जाना जनहित के लिये सर्वोत्तम विकल्प है। उक्त के अतिरिक्त कोई भी प्रभावित व्यक्ति/परिवार आवास विहीन नहीं होगा। इसलिये पुनर्वास स्कीम की आवश्यकता नहीं होगी। अधिग्रहण से जीविकोपार्जन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा।
2	परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्रफल	ग्राम–सरवनपुर (क्षेत्रफल 0.0740 हेक्टेयर), ग्राम–बादपुर उपरहार (क्षेत्रफल 0.02123 हेक्टेयर), ग्राम–चकडीहा (क्षेत्रफल 0.01770 हेक्टेयर), कुल क्षेत्रफल–0.4633 हेक्टेयर तहसील मेजा, जनपद प्रयागराज।
3	क्या ग्राम सभा और/अथवा भू-स्वामी की सहमति की आवश्यकता है ?	सहमति से भूमि क्रय की जा चुकी है। जिन भू-स्वामियों द्वारा सहमति नहीं दी गयी है, उनकी भूमि के अर्जन की कार्यवाही करायी जा रही है।
4	सामाजिक समाघात निर्धारण की पूर्ण होने की तिथि	27 अगस्त, 2021

टिप्पणी :–कलेक्टर (भूमि अर्जन प्रयोजनार्थ) कार्यालय में सभी कार्य दिवसों में विस्तृत विवरण देखा जा सकता है।

(ह0 अस्पष्ट),
कलेक्टर,
भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ,
प्रयागराज।

कार्यालय आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ

01 अक्टूबर, 2021 ई0

सं0 14/आठ-59/2020-22/शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम-8 सन 1012) की धारा 59 की उपधारा 4 के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 के नियम-55 के प्राविधानों में दी गई व्यवस्था के अन्तर्गत प्रतिनिधानित

अधिकारों का उपभोग करते हुये मैं, सुरेन्द्र सिंह, आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ-6 व 7 (खसरा संख्या/क्षेत्रफल) में उल्लिखित भूमि, जो अब तक ग्राम सभा में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेता हूं तथा जिलाधिकारी, बुलन्दशहर के पत्र संख्या 1665/डी0एल0आर0सी0, दिनांक 21 सितम्बर, 2021 द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु जिला बुलन्दशहर की तहसील खुरजा के ग्राम गंवा की ग्राम सभा भूमि के खाता संख्या 278 में अंकित गाटा संख्या 420 मि0, रकबा 0.201 हे0 (नवीन परती) भूमि का पुर्नग्रहण कर रु0 01 प्रति एकड़ सांकेतिक मूल्य पर 30 वर्ष के लिये पुर्नग्रहण के माध्यम से पट्टे पर उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लि0, लखनऊ के पक्ष में हस्तान्तरित करता हूं।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विशेष प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुर्नग्रहित की जा रही है।
बुलन्दशहर	खुरजा	खुरजा	गवां	गंवा	420	0.201	विद्युत उप-केन्द्र के निर्माण हेतु।

सुरेन्द्र सिंह,
आयुक्त,
मेरठ मण्डल, मेरठ।

कार्यालय जिलाधिकारी, झांसी

15 नवम्बर, 2021 ई0

सं0 161/12-ए-डी0एल0आर0सी0-पुर्नग्रहण/2021-22—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित मौजा लहरगिर्द तहसील व जिला झांसी के प्रबन्ध में निहित थी, अद्योहस्ताक्षरी द्वारा फिर से अपने अधिकार में लिया जाता है।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विशेष प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुर्नग्रहित की जा रही है।
1	झांसी	झांसी	झांसी	लहरगिर्द	758	0.240	श्रेणी-5(1) बंजर	प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-1, लखनऊ के निवर्तन पर रीजनल ग्राउण्ड वाटर इन्फ्रामेटिक्स सेन्टर के निर्माण हेतु। (निःशुल्क)

सं0 162/12-ए-डी0एल0आर0सी0-पुर्नग्रहण/2021-22—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या—687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020

द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित मौजा गढ़ियागांव तहसील व जिला झांसी के प्रबन्ध में निहित थी, अद्योहस्ताक्षरी द्वारा फिर से अपने अधिकार में लिया जाता है।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विशेष प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुर्नग्रहित की जा रही है।
1	झांसी	झांसी	झांसी	गढ़ियागांव	1761	0.500	श्रेणी–53 (ङ) बंजर	अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0 शासन, लखनऊ के निवर्तन पर जनपदीय ड्रगवेयर हाउस के भवन निर्माण हेतु। (निःशुल्क)

(ह0 अस्पष्ट),
जिलाधिकारी,
झांसी।

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद

02 दिसम्बर, 2021 ई0

सं0 1345/सात-डी0एल0आर0सी0-गा0बाद/विनियम/2021–उप जिलाधिकारी, मोदीनगर के पत्र संख्या 278/र0का0–मोदीनगर/2021, दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 के आलोक में एवं व्यापक जनहित के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा-2 सपठित धारा-101 एवं उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ की अधिसूचना संख्या–688/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, राकेश कुमार सिंह, जिलाधिकारी, गाजियाबाद ग्राम भदौला, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद स्थित खसरा संख्या 392 रकबा 0.0034 हे0 (नाली), 388 रकबा 0.0099 हे0 (नाली), 393 रकबा 0.0060 हे0 (चकमार्ग), 385 रकबा 0.0200 हे0 (चकमार्ग), 312 रकबा 0.0105 हे0 (चकमार्ग), 305 रकबा 0.0050 हे0 (चकमार्ग), 352 रकबा 0.0100 हे0 (सड़क) कुल खसरा नम्बरान 07 कुल रकबा 0.0648 हे0 भूमि का विनिमय डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 द्वारा ग्राम भदौला, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद की अर्जित भूमि खसरा नम्बर 390 रकबा 0.0178 हे0, 306 रकबा 0.0115 हे0, 303 रकबा 0.0495 हे0, 313 रकबा 0.0308 हे0, 354 रकबा 0.0192 हे0 कुल खसरा नम्बरान 05 कुल रकबा 0.1288 हे0 से विनिमय किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करता हूं :

1–उक्त भूमियों का विनिमय/श्रेणी परिवर्तन पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर परियोजना हेतु अपरिहार्य परिस्थितियों में किया जा रहा है। डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 रेलवे मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली से श्रेणी परिवर्तन हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि अंकन 4,83,000.00 रुपये (चार लाख तिरासी हजार रुपये) निर्धारित लेखा शीर्षक ''0029–भूराजस्व–800–अन्य प्राप्तिया–08–मालिकाना राजस्व–806–प्रकीर्ण प्राप्तियां'' के नाम जमा कराया जायेगा।

2–उप जिलाधिकारी मोदीनगर द्वारा ग्राम भदौला, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद स्थित विनिमय के माध्यम से प्राप्त डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 रेलवे मंत्रालय भारत सरकार,

नई दिल्ली की भूमि को चकमार्ग, नाली एवं सड़क के रूप में तथा डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 को दी जाने वाली ग्राम सभा भूमि स्थित ग्राम भदौला, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद का श्रेणी परिवर्तन शुल्क निर्धारित लेखा शीर्षक में नियमानुसार प्रक्रिया अन्तर्गत जमा कराने के उपरान्त डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 रेलवे मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के नाम दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

3—लोक प्रयोजन की भूमि का श्रेणी परिवर्तन/विनिमय का आदेश प्राप्त होने पर उप जिलाधिकारी मोदीनगर अधिकार अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तदनुसार संशोधन की कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।

4—उक्त सभी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन उप जिलाधिकारी मोदीनगर द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

सं0 1346/सात-डी0एल0आर0सी0-गा0बाद/विनियम/2021, दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 के द्वारा पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर परियोजना से प्रभावित जनपद गाजियबाद, तहसील मोदीनगर के राजस्व ग्राम पलौता के सार्वजनिक उपयोग की धारा-77 के अन्तर्गत आच्छादित 0.2220 हे0 भूमि का विनिमय किया गया था। जिसमें गाटा सं0 378 का रकबा लिपिकीय त्रुटिवश 0.0190 हे0 अंकित हो गया है। जबकि गाटा संख्या 378 का सही रकबा 0.0190 हे0 है।

अतः गाटा संख्या 378 का सही रकबा 0.0190 हे0 पढ़ा जाये।

राकेश कुमार सिंह,
जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

कार्यालय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), बाराबंकी

06 जुलाई, 2021 ई0

सं0 866/टी0आर0/पंजीयन निरस्त/2021—वाहन संख्या UP-41-AT-7171 (एम्बुलेन्स) जो कि कूट रचित प्रपत्रों के आधार पर मेसर्स श्याम संजीवनी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड, अण्डरचार्ज—डा0 अल्का राय, निवासी रफीनगर, बाराबंकी के नाम दिनांक 21 दिसम्बर, 2013 से परिवहन कार्यालय, बाराबंकी में पंजीकृत है। वाहन का चेचिस सं0 MAT460124DUC01564 एवं इंजन नम्बर 483DLTC55CWY703159 है।

संदर्भित वाहन संख्या UP-41-AT-7171 (एम्बुलेन्स) के पंजीयन के समय वाहन विक्रेता मे0 एम0जी0एस0 आटो फैब प्राईवेट लिमिटेड द्वारा जारी विक्रय प्रमाण-पत्र (फार्म-21) में अंकित पते के सत्यापन हेतु दिनांक 01 अप्रैल, 2021 को भारतीय डाक के माध्यम से एक रजिस्टर्ड-पत्र प्रेषित किया गया जो कि डाक विभाग द्वारा दिनांक 05 अप्रैल, 2021 ''लिखित पते पर पता नहीं चला फोन नम्बर बन्द है अतः अपूर्ण पता'' टिप्पणी अंकित करते हुये प्रेषक को वापस कर दी गयी। साथ ही उप जिलाधिकारी, नवाबगंज, बाराबंकी द्वारा भी उक्त पते के स्थलीय सत्यापन के उपरान्त दिनांक 01 अप्रैल, 2021 को प्रेषित आख्या में पता गलत होने की पुष्टि की गयी है।

वाहन स्वामी को अपना पक्ष/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये वाहन विक्रेता द्वारा जारी सेल इनवाईस पर अंकित पते पर दिनांक 01 अप्रैल, 2021 को मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-55 (5) के अन्तर्गत रसीदी, रजिस्ट्री डाक से सूचना प्रेषित करते हुये पत्र प्राप्ति के 3 दिन के भीतर समस्त प्रपत्रों के साथ अपना पक्ष रखने हेतु कार्यालय में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष स्वयं/प्रतिनिधि/अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके उपरान्त डा0 अल्का राय, निवासिनी ख्वाजाजहांपुर, थाना कोतवाली, तहसील सदर, जिला मऊ द्वारा दिनांक 07 अप्रैल, 2021 को प्रेषित आख्या में यह अवगत कराया गया है कि ''3. उक्त प्रकरण की जानकारी होने पर प्रार्थिनी द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2021 को श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ को इस आशय से प्रमाण-पत्र दिया जा

चुका है कि प्रकरण की जांच कर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किया जाये कि प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न है। हम प्रार्थिनी को उक्त एम्बुलेन्स से कोई वास्ता सरोकार नहीं था।''

उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि संदर्भित वाहन का पंजीयन कूट रचित प्रपत्रों के आधार पर हुआ है, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 (5) में व्यवस्था व्याप्त है कि–

''यदि रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि किसी मोटरयान का रजिस्ट्रीकरण ऐसे दस्तावेजों के आधार पर या तथ्यों के ऐसे व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है जो किसी सारवान विशिष्ट के सम्बन्ध में मिथ्या थे या उस पर समुद्भूत इंजिन संख्यांक या चेसिस संख्यांक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में प्रविष्टि ऐसे संख्यांक से भिन्न है तो रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी (उसके उस पते पर जो रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र) में दिया हुआ है, रसीदी रजिस्ट्री डाक से सूचना भेजकर स्वामी को ऐसा अभ्यावेदन करने का अवसर देने के पश्चात् जो वह करना चाहे और उन कारणों से जो लेखबद्ध किये जायेंगे, रजिस्ट्रीकरण रद्द करेगा।''

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर मैं, पंकज सिंह, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, बाराबंकी, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 (5) के अन्तर्गत उक्त वाहन का पंजीयन चिन्ह UP-41-AT-7171 दिनांक 06 जुलाई, 2021 से एतद्द्वारा निरस्त करता हूं।

पंकज सिंह,
पंजीयन प्राधिकारी,
मोटर वाहन, परिवहन विभाग,
बाराबंकी।

कार्यालय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), चित्रकूट

24 सितम्बर, 2021 ई0

सं0 431/सा0प्र0/पं0 नि0/यू0पी0-96-ई0/8271 (एल0एम0वी0) कार/2021-22–वाहन संख्या यू0पी0-96-ई0/8271 (एल0एम0वी0) कार के पंजीकृत स्वामी श्री मुस्सरफ हुसैन पुत्र श्री अतहर हुसैन, निवासी लक्ष्मणपुरी, कर्वी, जनपद चित्रकूट द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है, कि वाहन की पंजीयन तिथि 25 अप्रैल, 2016 है। वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से संचालन योग्य नहीं है। अतः वाहन का पंजीयन चिन्ह निरस्त कर दिया जाये। वाहन की चेसिस संख्या MAJZXXMTKZFT08844 एवं इंजन संख्या FT08844 वाहन का निर्माण वर्ष 12/2015 है।

वाहन का कर एक बरीय जमा है तथा वाहन समर्पण है। पंजीकृत स्वामी श्री मुस्सरफ हुसैन ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ वाहन की मूल पंजीयन पुस्तिका तथा चेसिस प्लेट भी संलग्न किया गया है। सम्बन्धित लिपिक की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई कर/चालान/एच0पी0ए0 व अन्य कुछ भी बकाया नहीं है। पंजीकृत वाहन स्वामी द्वारा उल्लेख किया गया है कि वाहन संचालन योग्य न होने के कारण वाहन को उनके द्वारा कबाड़ी को बेंच दिया गया है और न ही वाहन पर कुछ बकाया अवशेष है। यदि भविष्य में कुछ अवशेष बकाया पाया जाता है, तो वाहन स्वामी द्वारा सरकार को अदा किया जायेगा और अब वाहन का दुरूपयोग सम्भव नहीं है। अतः कार्यालय का यह समाधान हो जाता है कि प्रश्नगत वाहन अब अस्तित्व में नहीं है न ही कुछ बकाया है।

अतः मैं, पंजीयन अधिकारी, चित्रकूट उत्तर प्रदेश मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-55 की धारा-55 की उपधारा (1) एवं (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा वाहन संख्या यू0पी0-96-ई0/8271 (एल0एम0वी0) कार का पंजीयन चिन्ह दिनांक 18 सितम्बर, 2021 से निरस्त करता हूं।

(ह0 अस्पष्ट),
पंजीयन प्राधिकारी,
मोटर वाहन, परिवहन विभाग,
बाराबंकी।

कार्यालय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हापुड़

29 सितम्बर, 2021 ई0

सं0 905/टी0आर0/यू0पी0-37-ए0टी0-5655/2021—श्री आनन्द कुमार पुत्र श्री लखीराम, निवासी वार्ड नं0-15, ब्रजघाट हापुड़ (क्रेता) द्वारा वाहन सं0-यू0के0-05सीए-2032 का अनापत्ति प्रमाण-पत्र सं0-यू0के0-2021-एन0ओ0सी0-1607ए जो सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पिथौरागढ़ के मुहर हस्ताक्षर से उनके कार्यालय द्वारा जारी है, मूल पंजीयन पुस्तिका के साथ अपने नाम स्वामित्व अन्तरण किये जाने हेतु अपने शपथ-पत्र सहित जिसमें उनके द्वारा एन0ओ0सी0 प्राप्त कर स्वयं प्रस्तुत करने तथा गलत पाये जाने पर स्वयं उत्तरदायी रहने का वांछित समस्त प्रपत्रों सहित स्वामित्व अन्तरण व उ0प्र0 के पंजीयन चिन्ह समनुदेशन हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर वाहन का स्वामित्व अन्तरण दिनांक 25 जून, 2021 को करते हुये उ0प्र0 का पंजीयन चिन्ह यू0पी0-37-ए0टी0-5655 समनुदेशित किया गया। तदोपरान्त प्रपत्र सत्यापन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक मीमो/टी0आर0/हापुड़/2021, दिनांक 06 जुलाई, 2021 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पिथौरागढ़ (उत्तराखण्ड) के साथ सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कांठगोदाम एवं अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड) तथा मूल पंजीयन अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी लोअर सुबन श्री अरूणांचल प्रदेश को इस आशय से प्रेषित किया गया कि संदर्भित वाहन के परमिट के सम्बन्ध में कोई सूचना वाहन पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रही है, अतः वाहन के पंजीयन विवरण, चेसिस छाप का सत्यापन व परमिट सम्बन्धी आख्या से कार्यालय के ई-मेल आईडी artohpup@nic.in पर उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रेषित किया गया, परन्तु किसी कार्यालय द्वारा कोई सत्यापन सम्बन्धी आख्या अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इसी सम्बन्ध में वाहन की निर्माता कम्पनी आयशर मोटर्स लि0 के अधिकृत विक्रेता मैसर्स पंजाब मोटर वर्क्स, मैनापुर बस स्टॉप, मोरठा, मेरठ रोड, गाजियाबाद को कार्यालय पत्रांक 491/टी0आर0/यू0के0-05सीए-2032/2021, दिनांक 06 जुलाई, 2021 उनके ई-मेल पर चेसिस व इंजन नम्बर के आधार पर सत्यापन हेतु प्रेषित किया गया, जिसके सम्बन्ध में उनके ई-मेल द्वारा सत्यापन प्रेषित किया गया, जो निम्नवत् है :

"This Vehicles Chassis No. MC2G3HRPOJK761385 does not display in our system. Hance no data can ve provided."

पुनः इस कार्यालय के पत्र संख्या 790/टी0आर0/यू0पी0-37-ए0टी0-5655/2021, दिनांक 07 सितम्बर, 2021 के द्वारा एरिया सेल्स मैंनेजर वी0ई0 कॉमर्शियल व्हीकल्स लि0 96, सेक्टर–32, गुड़गांव (हरियाणा) एवं इस कार्यालय के पत्र सं0 791/टी0आर0/यू0पी0-37-ए0टी0-5655/2021, दिनांक 07 सितम्बर, 2021 के द्वारा एरिया सेल्स मैंनेजर वी0ई0 कॉमर्शियल व्हीकल्स लि0 प्लाट नं0 102 नियर इन्डस्ट्रीयल एरिया, सेक्टर-1, पीथमपुर, मध्य प्रदेश को वाहन के चेसिस व इंजन नम्बर के आधार पर वाहन के निर्माण/विक्रय के सत्यापन की सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

जिसके क्रम में वी0ई0 कॉमर्शियल व्हीकल्स लि0 के ई-मेल दिनांक 13 सितम्बर, 2021 के साथ पत्र सं0 In reference to : 790/TR/UP-35AT-5655/2021, Date : September 10, 2021 प्रेषित किया गया, जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया कि :

Pro 1114XP H having chassis number : MC2G3HRCOJK761385 and Engine Number : E244CDJK746289 hasn't been manufactured by VE Commercial Vehicles Ltd. nor we have sold the above mentioned vehicle to any of our channel partner.

This is for your information and necessary action.

आयशर मोटर्स लि0 के उक्त अधिकृत विक्रेता द्वारा प्राप्त सूचना एवं वी0ई0 कॉमर्शियल व्हीकल्स लि0 के उपरोक्त पत्र से यह स्पष्ट है कि संदर्भित वाहन का चेसिस निर्माता कम्पनी द्वारा निर्मित ही नहीं किया गया है, और न

ही उनके द्वारा उपरोक्त चेसिस किसी अधिकृत डीलर को विक्रय किया गया है। जिसके कारण वाहन के स्वामित्व अन्तरण एवं उ0प्र0 के पंजीयन चिन्ह समनुदेशन हेतु प्रस्तुत की गयी पंजीयन पुस्तिका एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र कूटरचित हैं। जिसके सम्बन्ध में वाहन स्वामी श्री आनन्द कुमार, श्री लखीराम निवासी वार्ड नं0-15 ब्रजघाट, गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़ को इस कार्यालय के पत्रांक 537/टी0आर0/यू0पी0-37-ए0टी0-5655/2021, दिनांक 15 जुलाई, 2021 तथा पत्रांक 668/टी0आर0/यू0पी0-37-ए0टी0-5655/2021, दिनांक 13 अगस्त, 2021 पंजीकृत डाक द्वारा अपना पक्ष साक्ष्य सहित एवं मूल पंजीयन अधिकारी तथा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड से वाहन की पंजीयन पुस्तिका एवं एन0ओ0सी0/पंजीयन विवरण एवं परमिट की पूर्ण स्थिति का सत्यापन प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये, परन्तु निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त आज तक वाहन स्वामी द्वारा अपनी उक्त वाहन के सम्बन्ध में न तो कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया और न ही उक्त सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्राप्त प्रमाण साक्ष्य हेतु प्रस्तुत किया गया है। जिससे यह प्रतीत होता है कि वाहन सं0-यू0पी0-37-ए0टी0-5655 का उ0प्र0 का पंजीयन चिन्ह सं0-यू0पी0-37-ए0टी0-5655 प्राप्त करने तथा स्वामित्व अन्तरण वाहन स्वामी श्री आनन्द कुमार द्वारा कूटरचित प्रपत्र प्रस्तुत कर प्राप्त कर लिया गया है, जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत संज्ञेय अपराध है, जो सक्षम अधिकारी द्वारा कोई सत्यापन प्राप्त न होने, निर्माता कम्पनी के अधिकृत विक्रेता तथा वी0ई0 कॉमर्शियल व्हीकल्स लि0 की प्राप्त आख्या व वाहन स्वामी द्वारा कोई प्रमाण प्रस्तुत न किये जाने से पूर्ण रूप से प्रमाणित है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मैं, ए0के0 श्रीवास्तव, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हापुड़/पंजीयन प्राधिकारी, मोटर वाहन विभाग, हापुड़, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-55 (5) में विहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन सं0-यू0पी0-37-ए0टी0-5655 का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूं।

ए0 के0 श्रीवास्तव,
पंजीयन प्राधिकारी,
मोटर वाहन, परिवहन विभाग,
हापुड़।

कार्यालय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), बस्ती

27 अक्टूबर, 2021 ई0

सं0 1742/यू0पी0-55-टी0-2338 मैक्सी कैब/पंजीयन निरस्त/2021—वाहन यू0पी0-55-टी0-2338 मैक्सी कैब चेचिस संख्या MAT44511BVK90189, इंजन नम्बर 2751DI06KYYSK4749 मॉडल 2012 वाहन माह दिनांक 15 मार्च, 2020 को कबाड़ में कटकर अस्तित्वविहीन हो चुकी है। वाहन के पंजीकृत स्वामी श्री गिरजेश पाण्डेय, पुत्र श्री रामबोध पाण्डेय, ग्राम करमहिया, पो0 व थाना सोनहा, जनपद बस्ती ने अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 26 अगस्त, 2021 द्वारा यह अवगत कराया है कि वाहन दिनांक 15 मार्च, 2020 से स्थाई रूप से संचालन के योग्य नहीं रह गई थी, जिसके कारण कबाड़ में कटवा दी गई है। कबाड़ में कटने के कारण वाहन अस्तित्वविहीन हो गई है। वाहन स्वामी के प्रार्थना-पत्र के आलोक में इस कार्यालय के पत्र संख्या 6468 दिनांक 11 सितम्बर, 18 द्वारा अध्यक्ष सहित 4 सदस्यीय कर अपलेखन हेतु गठित समिति की दिनांक 26 नवम्बर, 2021 को दी गई कर अपलेखन की संस्तुति परक आख्या, वाहन के अस्तित्वविहीन होने के प्रकीर्ण साक्ष्यों के दृष्टिगत उ0प्र0 मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 के नियम 22(अ) के आलोक में कर का अपलेखन करते हुये यान के दिनांक 15 मार्च, 2020 को कबाड़ में कटने के निमित्त केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा—22 'अ' के अन्तर्गत कर अपलेखन करते हुये धारा-55 (5) में उपबन्धित प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मैं, अरूण प्रकाश चौबे, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग बस्ती, वाहन संख्या UP-55 T-2338 प्रकार मैक्सी कैब का भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 15 मार्च, 2020 से तत्काल प्रभाव से पंजीयन निरस्त करता हूं।

उपरोक्त निर्णय प्रस्तुत प्रत्यावेदन में संलग्न प्रपत्र एवं कमेटी की आख्या के आधार पर लिया जा रहा है। संलग्नक प्रपत्र एवं कमेटी की आख्या कूटरचित या फोर्ज पायी जाती है तो पंजीयन निरस्तीकरण स्वतः निरस्त माना जायेगा।

सं0 1744/U.P.-51-T-2156 आटोरिक्शा/पंजीयन निरस्त/21—वाहन U.P.-51-T-2156 प्रकार आटोरिक्शा, चेचिस संख्या MD2ALBBZZRWL02386, इंजन नम्बर BBMBRL13093 मॉडल 2009 वाहन माह दिनांक 22 दिसम्बर, 2020 को कबाड़ में कटकर अस्तित्वविहीन हो चुकी है। वाहन के पंजीकृत स्वामी श्री यशवन्त कुमार पुत्र श्री बुद्धिराम, निवासी रौनाकला, थाना रूधौली, जनपद बस्ती ने अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 06 फरवरी, 2011 द्वारा यह अवगत कराया है कि वाहन दिनांक 22 दिसम्बर, 2021 से स्थाई रूप से संचालन के योग्य नहीं रह गई थी, जिसके कारण कबाड़ में कटवा दी गई है। कबाड़ में कटने के कारण वाहन अस्तित्वविहीन हो गई है। वाहन स्वामी के प्रार्थना-पत्र के आलोक में इस कार्यालय के पत्र संख्या 6468 दिनांक 11 सितम्बर, 18 द्वारा अध्यक्ष सहित 4 सदस्यीय कर अपलेखन हेतु गठित समिति की दिनांक 26 अक्टूबर, 2021 को दी गई कर अपलेखन की संस्तुति परक आख्या, वाहन के अस्तित्वविहीन होने के प्रकीर्ण साक्ष्यों के दृष्टिगत उ0प्र0 मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 के नियम 22(अ) के आलोक में कर का अपलेखन करते हुये यान के दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 को कबाड़ में कटने के निमित्त केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-22 'अ' के अन्तर्गत कर अपलेखन करते हुये धारा—55 (5) में उपबन्धित प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मैं, अरूण प्रकाश चौबे, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग बस्ती, वाहन संख्या U.P.-51-T-2156 प्रकार आटोरिक्शा का भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 से तत्काल प्रभाव से पंजीयन निरस्त करता हूं।

उपरोक्त निर्णय प्रस्तुत प्रत्यावेदन में संलग्न प्रपत्र एवं कमेटी की आख्या के आधार पर लिया जा रहा है। संलग्नक प्रपत्र एवं कमेटी की आख्या कूटरचित या फोर्ज पायी जाती है तो पंजीयन निरस्तीकरण स्वतः निरस्त माना जायेगा।

सं0 1745/U.P.-51-T-3080 जीप/टैक्सी/पंजीयन निरस्त/21—वाहन U.P.-51-T-3080 जीप/टैक्सी चेचिस संख्या MAT445119VJ32025, इंजन नम्बर 2751DI05JOZS93761 मॉडल 2010 वाहन माह दिनांक 15 नवम्बर, 2017 को कबाड़ में कटकर अस्तित्वविहीन हो चुकी है। वाहन के पंजीकृत स्वामी श्री प्रेमचन्द आजाद पुत्र श्री मुन्शी पीटर, निवासी सेमवाडीह, पोस्ट हल्लौर, थाना डुमरियागंज, जनपद सिद्धार्थनगर ने अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 20 अप्रैल, 2021 द्वारा यह अवगत कराया है कि वाहन दिनांक 15 नवम्बर, 2017 से स्थाई रूप से संचालन के योग्य नहीं रह गई थी, जिसके कारण कबाड़ में कटवा दी गई है। कबाड़ में कटने के कारण वाहन अस्तित्वविहीन हो गई है। वाहन स्वामी के प्रार्थना-पत्र के आलोक में इस कार्यालय के पत्र संख्या 6468 दिनांक 11 सितम्बर, 18 द्वारा अध्यक्ष सहित 4 सदस्यीय कर अपलेखन हेतु गठित समिति की दिनांक 26 अक्टूबर, 2021 को दी गई कर अपलेखन की संस्तुति परक आख्या, वाहन के अस्तित्वविहीन होने के प्रकीर्ण साक्ष्यों के दृष्टिगत उ0प्र0 मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 के नियम 22(अ) के आलोक में कर का अपलेखन करते हुये यान के दिनांक 15 नवम्बर, 2017 को कबाड़ में कटने के निमित्त केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा22 'अ' के अन्तर्गत कर अपलेखन करते हुये धारा-55 (5) में उपबन्धित प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मैं, अरूण प्रकाश चौबे, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग बस्ती, वाहन संख्या U.P.-51-T-3080 जीप/टैक्सी का भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 15 नवम्बर, 2017 से तत्काल प्रभाव से पंजीयन निरस्त करता हूं।

उपरोक्त निर्णय प्रस्तुत प्रत्यावेदन में संलग्न प्रपत्र प्रत्यावेदन में संलग्न प्रपत्र एवं कमेटी की आख्या के आधार पर लिया जा रहा है। संलग्नक प्रपत्र एवं कमेटी की आख्या कूटरचित या फोर्ज पायी जाती है तो पंजीयन निरस्तीकरण स्वतः निरस्त माना जायेगा।

अरूण प्रकाश चौबे,
पंजीयन प्राधिकारी,
मोटर वाहन, परिवहन विभाग,
बस्ती।

कार्यालय, उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी, भदोही

30 अक्टूबर, 2021 ई0

सं0 1170/कर पंजी0/यू0पी0-66-बी0-8830 चेचिस निरस्त आदेश 2021—वाहन संख्या यू0पी0-66-बी-8830—मो0 सा0 जो मूलतः प्रमाणित साक्ष्यों के अनुसार श्री संजय कुमार जायसवाल पुत्र श्री आर0एस0 जायसवाल, ग्राम सुरियावॉ, पो0 सुरियावां, जनपद भदोही को दिनांक 25 अगस्त, 2003 को आवंटित किया गया है। उक्त वाहन के पंजीयन संख्यांक पर व्यपदिष्ट तरीके से प्रतिरूपण द्वारा छल (Cheating-By-Personetion) करके श्री सुनील कुमार उपाध्याय पुत्र श्री ओमप्रकाश उपाध्याय, निवासी जगन्नाथपुर गोपीगंज, भदोही द्वारा अपने नाम एक मोटर साईकिल प्रकल्पित चेचिस संख्या 1766172, इंजन नम्बर 1766172 को दर्ज कराकर पृष्ठांकन करा लिया गया है। अभिलेखीय विवेचन के उपरान्त वाहन के कथित स्वामी श्री सुनील कुमार उपाध्याय का यह कृत्य पत्रावली के परीक्षणोपरान्त अत्यति रूप से विधि विरुद्ध पाया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में मूल वाहन स्वामी श्री संजय कुमार जायसवाल द्वारा संज्ञान में लाये जाने के उपरान्त इस कार्यालय के पत्र संख्या 1046, दिनांक 08 अक्टूबर, 2021 द्वारा चेचिस संख्या 1766172 के कथित स्वामी श्री सुनील कुमार उपाध्याय, निवासी उपरोक्त को केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 धारा-55 (5) में उपबन्धित विधि व्यवस्था के तहत नोटिस प्रेषित करते हुये यान के भौतिक निरीक्षणार्थ सहित यान की पंजीयन पुस्तिका, बीमा, अपना आधार कार्ड एवं कर जमा की रसीद के साथ कार्यालय में सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि पर उपस्थित होने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया, परन्तु श्री उपाध्याय नोटिस के सापेक्ष कार्यालय में उपस्थित होने में विफल रहे एवं किसी अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से भी नियत तिथि दिनांक 30 अक्टूबर, 2021 को कोई प्रत्युत्तर/वॉछित जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः मैं, अरूण कुमार, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)/पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, भदोही केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 धारा-55 (5) में उपबन्धित विधि शक्तियों का प्रयोग करते हुये विशेष संकल्प (Special-Resolution) से एतद्द्वारा यू0पी0-66-बी0-8830 के प्रकल्पित चेचिस संख्या 1766172, इंजन नम्बर 1766172 मोटर साईकिल को अकृत एवं शून्य मानते हुये तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूं तथा वाहन को मोटर साईकिल के रूप में पत्रावली में संरक्षित पंजीयन पुस्तिका के अनुसार विस्थापित करने हेतु आदेशित करता हूं।

सं0 1171/कर पंजी0/यू0पी0-66-एच0-2567/चेचिस निरस्त आदेश/2021—वाहन संख्या यू0पी0-66-एच0-2567 प्राईवेट जीप —मो0 सा0 जो मूलतः प्रमाणित साक्ष्यों के अनुसार श्री शैलेश कुमार दूबे पुत्र श्री सी0एम0 दूबे, ग्राम कोछिया, पो0 पूरे गड़ेरिया, जनपद भदोही को दिनांक 15 अक्टूबर, 2009 को आवंटित किया गया है। उक्त वाहन के पंजीयन संख्यांक पर व्यपदिष्ट तरीके से प्रतिरूपण द्वारा छल (Cheating-By-Personetion) करके श्री अमित कुमार पटेल पुत्र श्री गोपनाथ पटेल, निवासी सोनपुर, इमिलियाचट्टी, अहरौरा, मीरजापुर द्वारा अपने नाम महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा जीप प्रकल्पित चेचिस संख्या MAIP52DDC12L73638M2M, इंजन नम्बर DDL36015 को दर्ज कराकर पृष्ठांकन करा लिया गया है। अभिलेखीय विवेचन के उपरान्त वाहन के कथित स्वामी श्री अमित कुमार पटेल का यह कृत्य पत्रावली के परीक्षणोपरान्त अत्यान्तिक रूप से विधि विरुद्ध पाया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में मूल वाहन स्वामी श्री शैलेश कुमार दूबे द्वारा संज्ञान में लाये जाने के उपरान्त इस कार्यालय के पत्र संख्या 188, दिनांक 01 अप्रैल, 2017, पत्र संख्या 249, दिनांक 24 अप्रैल, 2017, पत्र संख्या 604, दिनांक 05 सितम्बर, 2017 एवं पत्र संख्या 928, दिनांक 15 सितम्बर, 2021 द्वारा चेचिस संख्या MAIP52DDC12L73638M2M के कथित स्वामी श्री अमित कुमार पटेल, निवासी उपरोक्त को केन्द्रीय मोटरयान

अधिनियम, 1988 धारा-55 (5) में उपबन्धित विधि व्यवस्था के तहत नोटिस प्रेषित करते हुये यान के भौतिक निरीक्षणार्थ सहित यान की पंजीयन पुस्तिका, बीमा, अपना आधार कार्ड एवं कर जमा की रसीद के साथ कार्यालय में सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि पर उपस्थित होने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया, परन्तु श्री पटेल नोटिस के सापेक्ष कार्यालय में उपस्थित होने में विफल रहे एवं किसी अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से भी नियत तिथि को कोई प्रत्युत्तर/वॉछित जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इस बीच मूल वाहन स्वामी श्री शैलेश कुमार दूबे द्वारा न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग भदोही के समक्ष दाखिल परिवाद संख्या 49/2017 में माननीय न्यायालय द्वारा सम्यक् सुनवाई के उपरान्त दिनांक 18 मार्च, 2021 को वाहन संख्या यू0पी0-66-एच0-2567 मोटर साईकिल को वैद्य करार करते हुये श्री शैलेश कुमार दूबे के स्वामित्व के आधार पर चोरीशुदा उक्त मोटर साईकिल का स्वामित्व अन्तरण ओरियन्टल इन्श्यूरेन्श कम्पनी लि0 भदोही के नाम दर्ज किये जाने हेतु आदेश प्रारित किया गया है।

अतः मैं, अरूण कुमार, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)/पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, भदोही केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 धारा-55 (5) में उपबन्धित विधि शक्तियों का प्रयोग करते हुये विशेष संकल्प (Special-Resolution) से एतद्द्वारा यू0पी0-66-एच0-2567 के प्रकल्पित चेचिस संख्या MAIP52DDC12L73638M2M, इंजन नम्बर DDL36015 महिन्द्रा जीप को अकृत एवं शून्य मानते हुये तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूं तथा वाहन को मोटर साईकिल के रूप में पत्रावली में संरक्षित पंजीयन पुस्तिका के अनुसार विस्थापित करने हेतु आदेशित करता हूं।

अरूण प्रकाश चौबे,
पंजीयन प्राधिकारी,
मोटर वाहन, परिवहन विभाग,
भदोही।

कार्यालय, उप परिवहन आयुक्त, आगरा परिक्षेत्र, आगरा

27 दिसम्बर, 2021 ई0

सं0 576/परिक्षेत्र/प्रगति मो0ड्रा0ट्र0स्कूल-झांसी/निरस्त/2021-आगरा–मैसर्स प्रगति मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, इण्डियन आयल, सीपरी बाजार, झांसी के स्वामी स्व0 सतीश चन्द्र शर्मा के पुत्र श्री अमित शर्मा, 1627 न्यू प्रेम गंज, सीपरी बाजार, झांसी ने अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 09 दिसम्बर, 2021 के द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि ''स्कूल के संचालक श्री सतीश चन्द्र शर्मा, जो मेरे पिताजी है, की मृत्यु दिनांक 14 मई, 2021 को हो जाने के उपरान्त स्कूल बंद है, अतः प्रार्थी उक्त स्कूल को बन्द करना चाहता है।''

श्री अमित शर्मा पुत्र स्व0 सतीश चन्द्र शर्मा ने अनुज्ञपित संख्या 31/परिक्षेत्र/आगरा/2002, जो दिनांक 03 फरवरी, 2022 तक वैद्य है, को स्वेच्छा से निरस्त कराने का अनुरोध किया गया है तथा श्री अमित शर्मा द्वारा मूल अनुज्ञप्ति प्रमाण-पत्र को निरस्त कराने हेतु इस कार्यालय में समर्पित कर दिया है।

अतः मैं, जयशंकर तिवारी, उप परिवहन आयुक्त, आगरा परिक्षेत्र, आगरा उक्त मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल को जारी की गयी अनुज्ञप्ति संख्या 31/परिक्षेत्र/आगरा/2002, दिनांक 04 फरवरी, 2002, जो दिनांक 04 फरवरी, 2022 तक वैद्य है, को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूं।

जयशंकर तिवारी,
अनुज्ञप्ति प्राधिकारी/
उप परिवहन आयुक्त,
आगरा परिक्षेत्र, आगरा।

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्ति

26 मार्च, 2022 ई0

(अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) अन्तर्गत)

सं0 383/आठ-वि0भू0अ0अ0/सिंचाई/ललितपुर–अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड माता टीला, जिला–ललितपुर द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा जमरार बॉध के स्थायी निर्माण हेतु जिला–ललितपुर, तहसील–महरौनी, परगना–महरौनी, ग्राम–बम्हौरी बहादुर सिंह में स्थित 0.453 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 559/आठ–वि0भू0अ0अ0/सिचांई/ललितपुर, दिनांक 21 सितम्बर, 2020 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से प्रकाशित दिनॉक 08 दिसम्बर, 2021 को प्रकाशित की गयी थी। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त नहीं किया गया था क्योंकि उक्त अर्जन से कोई भी कृषक भूमिहीन व विस्थापित नहीं हो रहा है।

अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा 19 (1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते है कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची "ख" उल्लिखित जिला–ललितपुर, तहसील–महरौनी, परगना–महरौनी, ग्राम–बम्हौरी बहादुर सिंह में कुल शून्य हे0 भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिहिन्त नहीं किया गया है। क्योंकि उक्त अर्जन से कोई भी कृषक भूमिहीन व विस्थापित नहीं हो रहा है।

राज्यपाल अग्रेतर निर्देश देते है, कि अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु ललितपुर कलेक्टर को निर्देशित करते है। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश संलग्न है, जो निम्नवत् है–

(सिचांई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा जमरार बॉध परियोजना हेतु ग्राम–बम्हौरी बहादुर सिंह, जनपद–ललितपुर में भूमि अर्जन के कारण कोई भी परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है, इसीलिए कोई भी स्थान विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिहिन्त नहीं किया गया है)।

अनुसूची-क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
ललितपुर	महरौनी	महरौनी	बम्हौरी बहादुर सिंह	346	0.060
				1229	0.032
				1297	0.090
				1379	0.150
				1380	0.085
				1467-क	0.011
				1472	0.025
				कुल योग. .	**0.453**

अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	पुनर्वासन हेतु चिहिन्त क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
ललितपुर	महरौनी	महरौनी	बम्हौरी बहादुर सिंह	शून्य	शून्य

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आलोक सिंह,
जिला कलेक्टर, ललितपुर।

NOTIFICATION

March 26, 2022

No. 383/VIII-S.L.A.O./Irrigation/Lalitpur / 2022—Whereas Preliminary notification No. 559/ Eight-S.L.A.O./IRRIGATION/LALITPUR dated 21.09.2020 was issued under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 6.021 hectares of land in Village-Bamohri Bahadur Singh, Pargana-Maharauni, Tehsil-Maharauni, District-Lalitpur, is required for public purpose, namely, project for the JAMRAR DAM through– Executive Engineer, Sichai Nirmaan Khand Matateela , Lalitpur (name of requiring body). and lastly published on dated 08-12-2021. The Deputy Collector/ Assistant Collector was not appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families because due to this land acquisition no farmers will be permanently displaced from their land nor will be landless.

After considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under sub-section (2) of the section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under section 19(1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of **ZERO** hectares in Village-Bamohri Bahadur Singh, Pargana-Maharauni, Tehsil-Maharauni, District-Lalitpur, as given in schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of rehabilitation and resettlement of the displaced families because due to this land acquisition no farmers will be permanently displaced from their land nor will be landless.

The Governor is further pleased under sub-section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of Lalitpur to publish a summary of the rehabilitation and resettlement scheme is attached herewith , which is as follows :- (no family is being displaced due to land acquisition by Irrigation and Water Resources Department in Village-Bamohri Bahadur Singh, District-Lalitpur**,** So no another land has been identified for the rehabilitation and resettlement under this project.

SCHEDULE –A

(LAND UNDER PROPOSED ACQUISITION)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Lalitpur	Maharauni	Maharauni	Bamohri Bahadur Singh	346	0.060

1	2	3	4	5	6
					Hectare
Lalitpur	Maharauni	Maharauni	Bamohri Bahadur Singh	1229	0.032
				1297	0.090
				1379	0.150
				1380	0.085
				1467-ka	0.011
				1472	0.025
				Total. .	**0.453**

SCHEDULE -B

(LAND IDENTIFIED AS SETTLEMENT AREA FOR DISPLACED FAMILIES)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area earmarked for rehabilitation
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Lalitpur	Maharaun	Maharuni	Bamohri Bahadur Singh	Nil	Nil

NOTE: A plan of land may be inspected in the Office of the Collector Lalitpur for the purpose of acquisition.

ALOK SINGH,
District Collector,
Lalitpur

26 मार्च, 2022 ई0

सं0 384/आठ-वि0भू0अ0अ0/सिचांई/ललितपुर–अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड माताटीला, जिला–ललितपुर द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा जमरार बॉध के स्थायी निर्माण हेतु जिला–ललितपुर, तहसील–महरौनी, परगना–महरौनी ग्राम–असौरा में स्थित 0.232 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 560/आठ-वि0भू0अ0अ0/सिचांई/ललितपुर, दिनांक 21 सितम्बर, 2020 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से प्रकाशित दिनॉक 08 दिसम्बर, 2021 को प्रकाशित की गयी थी। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त नहीं किया गया था क्योंकि उक्त अर्जन से कोई भी कृशक भूमिहीन व विस्थापित नहीं हो रहा है।

अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा 19 (1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते है कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची "ख" उल्लिखित जिला–ललितपुर, तहसील–महरौनी, परगना–महरौनी, ग्राम–असौरा में कुल शून्य हे0 भूमि को विस्थापित परिवारों के

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिहिन्त नहीं किया गया है। क्योंकि उक्त अर्जन से कोई भी कृषक भूमिहीन व विस्थापित नहीं हो रहा है।

राज्यपाल अग्रेतर निर्देश देते है, कि अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु ललितपुर कलेक्टर को निर्देशित करते है। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश संलग्न है, जो निम्नवत् है–

(सिचांई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा जमरार बॉध परियोजना हेतु ग्राम असौरा, जनपद–ललितपुर में भूमि अर्जन के कारण कोई भी परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है, इसीलिए कोई भी स्थान विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिहिन्त नहीं किया गया है)।

अनुसूची–क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
ललितपुर	महरौनी	महरौनी	असौरा	83	0.232
				कुल योग. .	**0.232**

अनुसूची–ख

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	पुनर्वासन हेतु चिहिन्त क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
ललितपुर	महरौनी	महरौनी	असौरा	शून्य	शून्य

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल–नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आलोक सिंह,
जिला कलेक्टर, ललितपुर।

No. 384 /VIII-S.L.A.O./Irrigation/Lalitpur–Whereas Preliminary Notification no. 560/Eight-S.L.A.O./IRRIGATION/LALITPUR dated 21.09.2020 was issued under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 6.021 hectares of land in Village-Aasura, Pargana-Maharauni, Tehsil-Maharauni, District-Lalitpur, is required for public purpose, namely, project for the Jamrar Dam through–Executive Engineer, Sichai Nirmaan Khand Matateela , Lalitpur (name of requiring body). and lastly published on dated 08-12-2021

The Deputy Collector/Assistant Collector was not appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families because due to this land acquisition no farmers will be permanently displaced from their land nor will be landless.

After considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under sub-section (2) of the section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under section 19(1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of Zero hectares in Village-Aasura, Pargana-Maharauni, Tehsil-Maharauni, District-Lalitpur, as given in schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of rehabilitation and resettlement of the displaced families because due to this land acquisition no farmers will be permanently displaced from their land nor will be landless.

The Governor is further pleased under sub –section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of Lalitpur to publish a summary of the rehabilitation and resettlement scheme is attached herewith. , which is as follows– (no family is being displaced due to land acquisition by Irrigation and Water Resources Department in Village-Aasura, District-Lalitpur, So no another land has been Identified for the Rehabilitation and Resettlement under this Project.

SCHEDULE-A

(LAND UNDER PROPOSED ACQUISITION)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Lalitpur	Maharauni	Maharauni	Aasura	83	0.232

SCHEDULE–B

(LAND IDENTIFIED AS SETTLEMENT AREA FOR DISPLACED FAMILIES)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area earmarked for rehabilitation
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Lalitpur	Maharauni	Maharauni	Aasura	Nil	Nil

NOTE : A plan of land may be inspected in the Office of the Collector Lalitpur for the purpose of acquisition.

ALOK SINGH,
District Collector,
Lalitpur.

26 मार्च, 2022 ई0

सं0 385/आठ-वि0भू0अ0अ0/सिचांई/ललितपुर–अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड माता टीला, जिला–ललितपुर द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा जमरार बांध के स्थायी निर्माण हेतु जिला–ललितपुर, तहसील–महरौनी, परगना–महरौनी, ग्राम–खिरिया भारन्जू में स्थित 6.021 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 561/आठ-वि0भू0अ0अ0/सिचांई/ललितपुर, दिनॉक 21 सितम्बर, 2020 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से प्रकाशित दिनॉक 08 दिसम्बर, 2021 को प्रकाशित की गयी थी। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त नहीं किया गया था क्योंकि उक्त अर्जन से कोई भी कृषक भूमिहीन व विस्थापित नहीं हो रहा है।

अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा 19 (1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते है कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची "ख" उल्लिखित जिला–ललितपुर, तहसील–महरौनी, परगना–महरौनी, ग्राम–खिरिया–भारन्जू में कुल शून्य हे0 भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिहिन्त नहीं किया गया है। क्योंकि उक्त अर्जन से कोई भी कृशक भूमिहीन व विस्थापित नहीं हो रहा है।

राज्यपाल अग्रेतर निर्देश देते है, कि अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु ललितपुर कलेक्टर को निर्देशित करते है। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश संलग्न है, जो निम्नवत् है–

(सिचांई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा जमरार बॉध परियोजना हेतु ग्राम खिरिया–भारन्जू, जनपद ललितपुर में भूमि अर्जन के कारण कोई भी परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है, इसी लिए कोई भी स्थान विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिहिन्त नहीं किया गया है)।

अनुसूची-क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
ललितपुर	महरौनी	महरौनी	खिरिया-भारन्जू	86-ज	0.216
				39	1.322
				397	0.860
				408	0.880
				409	0.607
				419	1.731
				56-ख	0.065
				29	0.340
				कुल योग. .	**6.021**

अनुसूची–ख

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	पुनर्वासन हेतु चिहिन्त क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
ललितपुर	महरौनी	महरौनी	खिरिया-भारन्जू	शून्य	शून्य

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आलोक सिंह,
जिला कलेक्टर ललितपुर।

No. 385/VIII-S.L.A.O./Irrigation/Lalitpur–Whereas Preliminary notification no-561/Eight-S.L.A.O./IRRIGATION/LALITPUR dated 21.09.2020 was issued under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 6.021 hectares of land in Village-Khiriya Bharanju, Pargana-Maharauni, Tehsil-Maharauni, District-Lalitpur, is required for public purpose, namely, project for the Jamrar Dam through–Executive Engineer, Sichai Nirmaan Khand Matateela, Lalitpur (name of requiring body). and lastly published on dated 08.12.2021 The Deputy Collector/ Assistant Collector was not appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families because due to this land acquisition no farmers will be permanently displaced from their land nor will be landless.

After considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under sub-section (2) of the section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under section 19(1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of Zero hectares in Village-Khiriya Bharanju, Pargana-Maharauni, Tehsil-Maharauni, District-Lalitpur, as given in schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of rehabilitation and resettlement of the displaced families because due to this land acquisition no farmers will be permanently displaced from their land nor will be landless.

The Governor is further pleased under sub-section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of Lalitpur to publish a summary of the rehabilitation and resettlement scheme is attached herewith , which is as follows: (no family is being displaced due to land acquisition by Irrigation and Water Resources Department in Village- Khiriya Bharanju, District-Lalitpur, So no another land has been Identified for the Rehabilitation and Resettlement under this project.

SCHEDULE-A

(LAND UNDER PROPOSED ACQUISITION)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Lalitpur	Maharauni	Maharauni	Khiriya Bharanju	86-J	0.216
				39	1.322
				397	0.860

1	2	3	4	5	6
					Hectare
Lalitpur	Maharauni	Maharauni	Khiriya Bharanju	408	0.880
				409	0.607
				419	1.731
				56-KHA	0.065
				29	0.340
				Total. .	**6.021**

SCHEDULE –B

(LAND IDENTIFIED AS SETTLEMENT AREA FOR DISPLACED FAMILIES)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area earmarked for rehabilitation
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Lalitpur	Maharauni	Maharauni	Khiriya Bharanju	Nil	Nil

NOTE : A plan of land may be inspected in the Office of the Collector Lalitpur for the purpose of acquisition.

ALOK SINGH,
District Collector, Lalitpur.

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

अनुभाग-4

कार्यालय-ज्ञाप

26 अप्रैल, 2022 ई0

सं0 142/2022/477/22-27-सिं0-4-145(डब्ल्यू0)/1994–बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के सेक्शन-11 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिनियम प्रारम्भ होने की तिथि से 180 दिनों की अवधि के भीतर, बांध से सम्बन्धित राज्य समिति का गठन किये जाने का प्राविधान है। उक्त अधिनियम बांध की विफलता से सम्बन्धित आपदाओं के रोकथाम के लिये राज्य में बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन एवं रख-रखाव को सुनिश्चित किये जाने हेतु एक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है। बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2021 को अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम के प्राविधान दिनांक 28 दिसम्बर, 2021 की अधिसूचना के तहत दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 से प्रभावी हो गया है। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 139 बांध है, जिसमें सोन संगठन वाराणसी में 68, सरयू परियोजना-2 गोण्डा में 11, बेतवा संगठन झांसी में 38, बेतवा परियोजना झांसी में 15, शारदा संगठन बरेली में 04, पूर्वी गंगा संगठन मुरादाबाद में 03, अतः बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के सेक्शन 11 के अन्तर्गत State Committee on Dam Safety (SCDS) के गठन का प्रस्ताव प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 170/प्र0अ0/SCDS, दिनांक 23 मार्च, 2022 द्वारा निम्नवत् शासन में प्रेषित किया गया है :

क्रमांक	समिति में पद	पदनाम
1	2	3
1	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।	अध्यक्ष/चेयरपर्सन
2	(1) मुख्य अभियन्ता (बांध सुरक्षा)। (2) मुख्य अभियन्ता (सोन), वाराणसी। (3) मुख्य अभियन्ता (बेतवा), झांसी। (4) मुख्य अभियन्ता (बेतवा परियोजना), झांसी। (5) मुख्य अभियन्ता (पूर्वी गंगा), मुरादाबाद। (6) मुख्य अभियन्ता (शारदा), बरेली। (7) मुख्य अभियन्ता (सरयू परियोजना–2), गोण्डा।	सदस्य
3	(1) मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड। (2) मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड। (3) मुख्य अभियन्ता, चम्बल बेतवा बेसिन, जल संसाधन विभाग, भोपाल, मध्य प्रदेश। (4) मुख्य अभियन्ता, धसान केन कछार, जल संसाधन विभाग, सागर, मध्य प्रदेश। (5) मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, मेदनीनगर, डाल्टेनगंज, झारखण्ड। (6) मुख्य अभियन्ता, हसदेव गंगा कछार, जल संसाधन विभाग, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़।	सदस्य
4	मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, डेहरी आन सोन, जिला औरंगाबाद, बिहार।	सदस्य
5	केन्द्रीय जल आयोग द्वारा नामित सदस्य (निदेशक स्तर के अधिकारी)।	सदस्य
6	इंजीनियरिंग संस्थान के हाइड्रोलोजी या डैम डिजाइन विशेषज्ञ (स्वीकृति प्राप्त आई0आई0टी0 रूड़की, आई0आई0टी0 कानपुर, एन0आई0एच0, रूड़की)।	03 सदस्य
7	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा नामित सदस्य (निदेशक स्तर के अधिकारी) (स्वीकृति प्राप्त)।	सदस्य
8	उत्तर प्रदेश जल विद्युत् निगम द्वारा नामित सदस्य।	सदस्य

2–प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये उपरोक्त प्रस्ताव पर सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमोदनोपरान्त State Committee on Dam Safety (SCDS) के गठन की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

06 मई, 2022 ई0

सं0 143/2022/537/22-27-सिं0-4-145(डब्ल्यू0)/94टी0सी0–बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के सेक्शन-11 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिनियम प्रारम्भ होने की तिथि से 180 दिनों की अवधि के भीतर, बांध से सम्बन्धित राज्य समिति का गठन किये जाने का प्राविधान है। उक्त अधिनियम बांध की विफलता से सम्बन्धित आपदाओं के रोकथाम के लिये राज्य में बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन एवं रख-रखाव को सुनिश्चित किये जाने हेतु एक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है। बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2021 को अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम के प्राविधान दिनांक 28 दिसम्बर, 2021 की अधिसूचना के तहत दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 से प्रभावी हो गया है। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 139 बांध है, जिसमें सोन संगठन वाराणसी में 68, सरयू परियोजना-2 गोण्डा में 11, बेतवा संगठन झांसी में 38, बेतवा परियोजना झांसी में 15, शारदा संगठन बरेली में 04, पूर्वी गंगा संगठन मुरादाबाद में 03 अतः बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के अध्याय-V धारा 14 के अन्तर्गत State Dam Safety Organization (SDSO) के गठन का प्रावधान किया गया हैं। State Dam Safety Organization (SDSO) के गठन का प्रस्ताव प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के

पत्र संख्या 204/प्र0अ0/SDSO, दिनांक 05 अप्रैल, 2022 द्वारा शासन में प्रेषित किया गया है, उक्त प्रस्तावानुसार State Dam Safety Organization (SDSO) का निम्नवत् गठन किया जाता है :

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

मुख्य अभियन्ता स्तर–1 (परिकल्प एवं शोध)

पद नाम			अभ्युक्ति
मुख्य अभियन्ता (बांध सुरक्षा)			
अधीक्षण अभियन्ता (रूहेलखण्ड) बांध सुरक्षा मण्डल, लखनऊ	(क) अधिशासी अभियन्ता (सिविल) एवं आहरण–वितरण अधिकारी, बांध सुरक्षा खण्ड–1, लखनऊ	1–सहायक अभियन्ता (सिविल), प्रथम 2–सहायक अभियन्ता (सिविल), द्वितीय 3–अवर अभियन्ता (सिविल), प्रथम 4– अवर अभियन्ता (सिविल), द्वितीय	शारदा एवं पूर्वीगंगा संगठन के अन्तर्गत बांधों का निरीक्षण/अनुश्रवण सम्बन्धी कार्य एवं मुख्यालय के अन्य कार्य।
	(ख) अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक) एवं बांध सुरक्षा खण्ड–2, लखनऊ	1–सहायक अभियन्ता (यांत्रिक), प्रथम 2–सहायक अभियन्ता (यांत्रिक), द्वितीय	
अधीक्षण अभियन्ता (विन्ध्याचल) बांध सुरक्षा मण्डल, लखनऊ	(क) अधिशासी अभियन्ता (सिविल), बांध सुरक्षा खण्ड–3, लखनऊ	1–सहायक अभियन्ता (सिविल), प्रथम 2–सहायक अभियन्ता (सिविल), द्वितीय	सोन एवं सरयू परियोजना–2 संगठन के अन्तर्गत बांधों का निरीक्षण/अनुश्रवण सम्बन्धी कार्य।
	(ख) अधिशासी अभियन्ता (सिविल), बांध सुरक्षा खण्ड–4, लखनऊ	1–सहायक अभियन्ता (यांत्रिक), प्रथम 2–सहायक अभियन्ता (यांत्रिक), द्वितीय	
	(ग) अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक), बांध सुरक्षा खण्ड–5, लखनऊ	1–सहायक अभियन्ता (सिविल), प्रथम 2–सहायक अभियन्ता (सिविल), द्वितीय	
अधीक्षण अभियन्ता (बुन्देलखण्ड) बांध सुरक्षा मण्डल, लखनऊ	(क) अधिशासी अभियन्ता (सिविल), बांध सुरक्षा खण्ड–6, लखनऊ	1–सहायक अभियन्ता (सिविल), प्रथम 2–सहायक अभियन्ता (सिविल), द्वितीय	बेतवा एवं बेतवा परियोजना संगठन के अन्तर्गत बांधों का निरीक्षण/अनुश्रवण सम्बन्धी कार्य।
	(ख) अधिशासी अभियन्ता (सिविल), बांध सुरक्षा खण्ड–7, लखनऊ	1–सहायक अभियन्ता (सिविल), प्रथम 2–सहायक अभियन्ता (सिविल), द्वितीय	
	(ग) अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक), बांध सुरक्षा खण्ड–8, लखनऊ	1–सहायक अभियन्ता (यांत्रिक), प्रथम 2–सहायक अभियन्ता (यांत्रिक), द्वितीय	

उपरोक्त पदों की व्यवस्था प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा अपने स्तर से विभाग में उपलब्ध पदों में से की जायेगी।

2–प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये उपरोक्त प्रस्ताव पर सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमोदनोपरान्त State Dam Safety Organization (SDSO) के गठन की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

आज्ञा से,
मुश्ताक अहमद,
विशेष सचिव।

पी0एस0यू0पी0–12 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2022 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 18 जून, 2022 ई० (ज्येष्ठ 28, 1944 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, भरवारी, जनपद कौशाम्बी

09 जुलाई, 2018 ई0

उत्तर प्रदेश नगरपालिका परिषदों/नगर पंचायतों हेतु टावर स्थापना, नियंत्रण एवं विनियम (Installation, Control and Regulation of Tower) सम्बन्धी आदर्श उपविधि हेतु दिशा-निर्देश

सं0 206/न0पा0परि0भ0/2018–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 298 तथा उसके साथ अंकित सूची-1 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद भरवारी, जनपद–कौशाम्बी उपविधि बनाने का प्रस्ताव करता है उसका प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा 301 की अपेक्षानुसार समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए और उसके सम्बन्ध में आपत्तियां और सुझाव आमन्त्रित करने की दृष्टि से समस्त नगरवासियों व प्रभावी व्यक्तियों/समूह से अपेक्षा है कि प्रकाशन दिनांक से 01 माह के अन्दर अपने सुझाव व आपत्तियां नगरपालिका परिषद भरवारी कार्यालय को प्राप्त करायें जिससे उन पर विचारोपरान्त समुचित निर्णय किया जा सके। समयावधि पश्चात् कोई भी आपत्ति स्वीकार नही की जायेगी के सम्बन्धित प्रकाशन हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र "अमर उजाला" में दिनांक 11 जुलाई, 2018 व हिन्दुस्तान में दिनांक 10 जुलाई, 2018 को प्रकाशित कर आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये गये थे परन्तु निर्धारित अवधि के अन्दर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव इस कार्यालय को प्राप्त नही हुए।

अतएव नियमावली नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 131 (1) के अपेक्षानुसार सरकारी गजट में सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है। जो प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ– (1) यह उपविधि नगरपालिका भरवारी, जनपद–कौशाम्बी (टावर स्थापना नियंत्रण एवं विनियम) उपविधि, 2018 कही जायेगी।

(2) यह नगरपालिका परिषद भरवारी, जनपद–कौशाम्बी की सीमा में लागू होगी।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2–परिभाषायें– (1) जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधि में–

(एक) अधिनियम से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।

(दो) 'टावर' से तात्पर्य रेडियो दूरदर्शन मोबाइल फोन या अन्य फोन या दूरसंचार सम्बन्धी अन्य मध्यमों के संकेतक या रश्मियां भेजने और संयोजन तथा संवाहकता स्थापित रखने हेतु निर्मित ऊंची संरचना से है।

(तीन) 'सेवा प्रदाता' से तात्पर्य किसी कम्पनी, उसके कर्मचारी अभिकर्ता, अनुज्ञापी, संविदाकर्ता या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से है जिसके द्वारा अथवा निर्देशन अथवा पर्यवेक्षण में टावर लगाया जाना प्रस्तावित हो या लगया गया हो।

(चार) 'भवन' के अन्तर्गत मकान, घर के बाहर के कक्ष, छादक, झोपड़ी या अन्य घिरा हुआ स्थान या ढॉचा है चाहे वह पत्थर, ईट, लकडी, मिट्टी, धातु या अन्य किसी वस्तु से बना हो और चाहे वह मनुष्यों को रहने के लिए या अन्यथा प्रयुक्त होता हो और इसके अन्तर्गत बरामदे, चबूतरे, मकानों की कुर्सियॉ, दरवाजे की सीढियों दीवालें तथा हाते की दीवाले और मेंड़ तथा ऐसे ही अन्य निर्माण भी है।

(पांच) 'भूमि' के अन्तर्गत ऐसी भूमि है, जिस पर कोई निर्माण हो रहा अथवा निर्माण हो चुका है अथवा जो पानी से ढकी हो, भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ, भूमि से संलग्न अथवा भूमि से संलग्न किसी वस्तु से स्थायी सूत्र से बॉधी हुई वस्तुयें और वे अधिकार है, जो किसी सड़क के सम्बन्ध में विधायन द्वारा सृजित हुए हो।

(छ) नगरपालिका से तात्पर्य नगर पालिका परिषद भरवारी, जनपद–कौशाम्बी से है।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाशित और अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित हों।

3–प्रतिशेध–

(1) अधिशासी अधिकारी से पूर्व में लिखित अनुज्ञा प्राप्त किए बिना कोई सेवा प्रदाता कम्पनी कर्मचारी अभिकर्ता अनुज्ञापी या संविदाकर्ता या कोई व्यक्ति निगम की सीमा के भीतर किसी भूमि या भवन या वाहन पर कोई टावर या इसी प्रकार की अन्य संरचना जिससे किसी सामान्य प्रज्ञावाले व्यक्ति को टावर होने का आभास हो न तो प्रतिष्ठापित करेगा न परिनिर्मित करेगा न खडा करेगा न गाड़ेगा।

(2) पालिका की सीमाओं के भीतर किसी भूमि या भवन का स्वामी या अन्य अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति नगर आयुक्त की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसे भूमि या भवन के किसी भाग पर कोई टावर न प्रतिस्थापित करेगा न परिनिर्मित करेगा न खड़ा करेगा न गाड़ेगा और न ही किसी व्यक्ति कम्पनी संस्था या उसके कर्मचारी अभिकर्ता या अनुज्ञापी को ऐसे भवन या भूमि पर कोई टावर न प्रतिष्ठापित करने देगा न परिनिर्मित करने देगा और न खडा करने देगा न गाड़ने देगा।

(3) कोई टावर इस रीति से स्थापित नही किया जायेगा जिससे यातायात अथवा समीपस्थ भवनों तथा उनके अध्यासियों को नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता अथवा लोक सुरक्षा में किसी प्रकार का व्यवधान हो।

4–अनुज्ञा प्राप्त करने की प्रक्रिया–

(1) अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिश्ट प्रपत्र में किया जायेगा, जिसे (धनराशि) रुपये भुगतान करके नगर पालिका परिषद के कार्यालय से या नगरपालिका परिषद की वेबसाइट से डाउन लोड कर प्राप्त किया जा सकता है। नगरपालिका परिषद कार्यालय से प्राप्त आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन-पत्र के मूल्य रसीद और वेबसाइट से डाउनलोड किया गया आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय उसके साथ आवेदन-पत्र के मूल्य का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) आवेदक द्वारा भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा जारी अपेक्षित लाइसेन्स अथवा पंजीकरण प्रमाण-पत्र संलग्न किया जायेगा।

(3) प्रत्येक आवेदन-पत्र में ऐसी भूमि भवन या स्थान के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना निहित होगी जहां ऐसी भूमि भवन या स्थान के पास प्रस्तावित टावर प्रतिष्ठापित किया जाना परिनिर्मित किया जाना खड़ा किया जाना गाड़ा जाना चिपकाया जाना या लटकाया जाना वांछित हो।

(4) आवेदन-पत्र के साथ टावर की प्रस्तावित संरचना के आकार का विवरण नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित संरचना अभियन्ता से सुदृढता सम्बन्धी रिपोर्ट आवश्यक चित्र तथा संरचना संगणना प्रस्तुत की जायेगी।

(5) आवेदक द्वारा भूमि अथवा भवन का स्वामित्व प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत किया जायेगा। यदि आवेदक ऐसी भूमि या भवन का स्वामी न हो तो आवेदन-पत्र के साथ ऐसी भूमि या भवन के स्वामी की लिखित अनुमति उसके स्वामित्व प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।

(6) भूमि या भवन के प्रत्येक स्वामी को यह लिखित समझौता करना होगा कि किसी व्यतिक्रम की स्थिति में वह टावर हेतु देय प्रत्येक प्रकार के शुल्क का भुगतान करने के लिए दायी होगा।

(7) टावर से सम्बन्धित विवरण जैसे ऊँचाई भार भूतल पर स्थापित या छत पर एन्टिना की संख्या तथा अन्य अपेक्षित सूचनायें और विशिष्टयां अंकित की जायेगी।

(8) आटोमोटिव रिसर्स एसोसियेशन ऑफ इण्डिया (ARAI) द्वारा डीजी जनरेटर सेट के निर्माता को जारी टाइप टेस्ट सर्टीफिकेट (Type test certificate) की प्रति आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किया जाना अपेक्षित होगा।

(9) ऊँचे भवनों की दशा में अग्नि शमन विभाग से क्लियरेन्स प्राप्त किया जायेगा।

(10) संरक्षित वन क्षेत्र में वन विभाग की अनापत्ति वांछित होगी।

5–अनुज्ञा प्राप्त करने की शर्तें–

(1) किसी टावर को प्रतिष्ठापित करने परिनिर्मित करने खड़ा करने या की गाड़ने की अनुज्ञा निम्नलिखित निबन्धनों एवं शर्तों के अधीन प्रदान की जायेगी।

(क) अनुज्ञा केवल उसी अवधि तक के लिए प्रभावी होगी जिस अवधि के लिए प्रदान की गयी हो बशर्ते शुल्क इस उपविधि के अधीन संदत्त और जमा किया गया हो।

(ख) टावर को समुचित स्थितियों और दशाओं में रखा और अनुरक्षित किया जायेगा।

(ग) प्रदान की गई अनुज्ञा अन्तरणीय नही होगी।

(घ) सेवा प्रदाता कम्पनी या व्यक्ति ऐसी अवधि जिसके लिए अनुज्ञा दी गई थी की समाप्ति के एक सप्ताह के पूर्व अनुज्ञा नवीनीकरण हेतु निर्धारित शुल्क जमा करेगा। शुल्क न जमा करने की स्थिति में एक सप्ताह में टावर हटा दिया जायेगा।

(ङ) टावर अनुज्ञात स्थान पर ही प्रतिष्ठापित किए जायेगे परिनिर्मित किए जायेंगे खड़े किए जायेंगे गाड़े जायेंगे चिपकाये जायेंगे या लटकाये जायेंगे। टावर किसी हेरिटेज/संरक्षित स्मारकों/भवनों पर स्थापित नहीं किये जायेंगे।

(च) टावर से समीपस्थ भवनो के आवागमन प्रकाश और यातायात में किसी भी रूप में व्यवधान नही डाला जायेगा और नही ही लोक बाधा अथवा यातायात में बाधा उत्पन्न की जायेगी।

(छ) लोकहित में अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह अनुज्ञा अवधि समाप्त होने से पूर्व भी अनुज्ञा-पत्र को निलम्बित कर दे।

(ज) ढाँचों अवलम्बों और पटिटयों सहित टावर को अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जायेगा। समस्त धात्विक पुर्जो के वैद्युत भू-आच्छादन की व्यवस्था की जायेगी और सभी वायरिंग सुरक्षित और रोधित रखी जायेगी।

(झ) भूमि अथवा छत पर लगाने वाले बेस ट्रॉस रिसीविंग सिस्टम (बी0टी0एस0) के सम्बन्ध में भवन के ढाँचे की डिजाइन तथा टावर के आधार के स्थायित्व और सुदृढता के प्रमाण-पत्र पर स्थानीय निकाय या राज्य सरकार या सी0बी0आर0आई0 रूड़की या आई0आई0टी0एन0आई0आई0टी या किसी अन्य संस्था के अधिकृत संरचना अभियन्ता द्वारा की गयी लिखित आख्या अपेक्षित होगा।

(ञ) किसी भवन के छत पर कोई टावर इस प्रकार प्रतिष्ठापित नही किया जायेगा जिससे छत के एक भाग से दूसरे भाग में मुक्त प्रवेश में व्यवधान हो।

(ट) कोई टावर किसी छत पर तब तक प्रतिष्ठापित नही किया जायेगा जब तक सम्पूर्ण छत अज्वलनशील सामग्री का न हो।

(ठ) कोई टावर भवन के विद्यमान एलाइनमेन्ट से बाहर किसी भी दशा में नही बढेगा।

(ड) प्रत्येक टावर को पूर्णतया सुरक्षित रखा जायेगा। ऐसे भवन या संरचना जिस पर यह प्रतिष्ठापित या परिनिर्मित हो का सम्पूर्ण भार भवन के संरचनात्मक भागों में सुरक्षित रूप में संवितरित होंगे।

(ढ) विमान पत्तनों के समीप टावर स्थापना हेतु विमान पत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(ण) टावर के स्थापना हेतु प्रथम वरीयता वन क्षेत्र एवं द्वितीय वरीयता आबादी से दूर खुले या सार्वजनिक क्षेत्र को दिया जायेगा। टावर आवासीय क्षेत्रों में लगाने से बचा जाय किन्तु जहॉ यह सम्भव न हो वहां यथा सम्भव खुली भूमि पर उसे स्थापित किया जाय।

(त) टावर पर लगा एन्टिना समीपस्थ भवन से न्यूनतम 03 मीटर दूर और उसका निम्न धरातल अथवा छत से न्यूनतम 03 मीटर की ऊँचाई पर होगा।

(थ) टावर की स्थापना किसी शैक्षिक संस्थान अस्पताल परिसर अथवा संकरी गालियों (जिनकी चौ0 5 मी0 से कम हो) में नही की जायेगी। टावर किसी अस्पताल अथवा शैक्षिक संस्था के 100 मीटर की त्रिज्या में भी स्थापित नही किये जायेगें।

(द) टॉवरों की स्थापना हेतु (भूमिगत या छत पर) एन्टीना के ठीक सामने कोई बिल्डिंग इत्यादि होने की स्थिति में टॉवर/बिल्डिंग की न्यूनतम दूरी निम्नवत होगी–

क्रमांक	गुणज एन्टीनों की संख्या	एन्टीना से बिल्डिंग/संरचना की दूरी (सुरक्षित दूरी) (मी0 में)
1	2	35
2	4	45
3	6	55
4	8	65
5	10	70
6	12	75

(ध) क्षेत्र विशेष में कई कम्पनियों द्वारा ट्रांसमिशन स्थल वांछित होने पर उन्हें यथा सम्भव एक ही टावर पर स्थापित कराना होगा।

(न) टावर अथवा उस पर स्थापित एन्टिना तक सामान्य जन के पहुँच को समुचित तरीके जैसे कटीले तार छत पर जाने के दरवाजे अथवा बाउण्ड्री वाल बनाकर गेट पर ताला आदि लगाकर प्रतिबन्धित किया जायेगा। अनुरक्षण कर्मियों को भी यथासम्भव कम से कम अवधि के लिए टावर तक पहुँचने की अनुमति दी जायेगी।

(प) टावर स्थल पर साइन बोर्ड उपलब्ध कराया जायेगा जो स्पष्ट दृष्टया होगा और चेतावनी चिन्ह स्थल के प्रवेश द्वार पर लगाया जाना चाहिए जिसमें स्पष्ट रूप में अंकित किया जाय।

(फ) सेवा/अवस्थापना प्रदाता कम्पनियों द्वारा भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (डॉट) के टर्म सेल द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार रेडिएशन के सभी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(ब) प्रत्येक सेवा/अवस्थापना प्रदाता कम्पनी उसके अभिकर्ता अनुज्ञापी कर्मचारी या स्वामी द्वारा टावर स्थापना के समय स्थल के चारों ओर बेरीकेटिंग टिन आदि लगाकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

(भ) ऐसे स्थलों जहां यातायात हेतु दृष्यता में बाधा और व्यवधान उत्पन्न हो वहां टावर लगाने की अनुज्ञा नही दी जायेगी।

(म) जहॉ इससे स्थानीय नगरीय सुविधायें प्रभावित हो वहां अनुमति देय नही होगी।

(य) आवेदक द्वारा विभिन्न सम्बन्धित विभागों और प्राधिकारियों से आवश्यकतानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(र) टावर की स्थापना मरम्मत या सम्बन्धित अन्य कार्यो के सम्पादन के समय या पश्चात् जन सुविधा का पूर्ण दायित्व आवेदक अथवा सेवाप्रदाता को होगा। किसी प्रकार की दृर्घटना या क्षति और उसके परिणामों के लिये आवेदक या सेवा प्रदाता उत्तरदायी होगा।

(ल) टावर पर किसी प्रकार का विज्ञापन सम्प्रदर्शित नही किया जा सकेगा।

(व) भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्धारित अन्य नियम और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6–क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्र प्रत्येक सेवा प्रदाता कम्पनी उसके अभिकर्ता अनुज्ञापी कर्मचारी या स्वामी द्वारा टावर या टावर की स्थापना से हुई दुर्घटना या किसी हानि के लिये क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

7–सम्पत्ति कर का आरोपण टावर के पास निर्मित जनरेटर कक्ष उपकरण कक्ष चौकीदार कक्ष या अन्य कोई पर अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों के अधीन सम्पत्ति कर का आरोपण किया जायेगा और अनुज्ञा शुल्क के साथ वसूला जायेगा।

8–अनुज्ञा की अवधि और नवीनीकरण अनुज्ञा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए होगी। प्रत्येक ऐसी अनुज्ञा या नवीनीकरण उसके जारी होने के दिनांक से अनधिक दो वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जायेगी।

9–टावर को हटाने की शक्ति यदि कोई टावर इस उपविधि के उल्लघंन में प्रतिष्ठापित किया जाता है परिनिर्मित किया जाता है खड़ा किया जाता है या गाड़ा जाता है या लोक सुरक्षा के लिए परिसंकटमय या खतरनाक हो या सुरक्षित यातायात संचालन हेतु बाधा और अशांति का कारण हो तो अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी किसी नोटिस के बिना उसे हटवा सकता है और जमा प्रतिभूति से निम्नलिखित धनराशियों को वसूल सकता है–

(एक) टावर हटाये जाने का व्यय।

(दो) ऐसी अवधि जिसके दौरान टावर प्रतिष्ठापित किया गया था परिनिर्मित किया गया था खड़ा किया गया था गाड़ा गया था के लिए हुई क्षति की धनराशि।

10–टावर का निर्वन्धन किसी संविदा या अनुबंध में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी किसी टावर को प्रतिष्ठापित करने परिनिर्मित करने खड़ा करने या गाड़ने की अनुज्ञा निम्नलिखित स्थिति में नही दी जायेगी।

(क) ऐसी रीति से और ऐसे स्थानो पर जिससे यातायात में बाधा उत्पन्न होती हो।

(ख) राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गो के यान मार्ग के छोर से 20 मीटर के भीतर।

(ग) अन्य मार्गो के यानमार्ग के छोर से 10 मीटर के भीतर।

(घ) ऐतिहासिक या राष्ट्रीय स्मारकों सार्वजनिक भवनों चिकित्सालयों शैक्षिक संस्थाओं सार्वजनिक कार्यालयों और पूजा स्थल के ऊपर।

(ङ) जब इससे स्थानीय नागरिक सुविधायें प्रभावित और बाधित हो।

(च) किसी परिसर के बाहर क्षेपित हो।

(छ) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा घोषित निषिद्ध क्षेत्र के भीतर हो।

11–निषिद्ध क्षेत्र की घोषणा– नगर पालिका राज्य सरकार या केन्द्र सरकार किसी स्थान या स्थानों क्षेत्र या क्षेत्रों को टावर प्रतिष्ठापित करने परिनिर्मित करने खड़ा करने या गाड़ने के लिए निषिद्ध घोषित कर सकी है–

12–अनुरक्षण– (1) सभी टावर जिनके लिए अनुज्ञा अपेक्षित है अवलम्बों बैधनी रस्सा और स्थिरक के साथ भली प्रकार मरम्मत किये जायेगें जो कि ढॉचागत और कलात्मकदोनो ही दृष्टिकोण से होगी और यदि चमकीले अज्वलनशील सामग्री से निर्मित नही है तो उन पर मोर्चा आदि से रोकने हेतु रंग रोगन किया जायेगा।

(2) प्रत्येक सेवा प्रदाता कम्पनी उसके कर्मचारी अभिकर्ता अनुज्ञापी या व्यक्ति का यह कर्तव्य और दायित्व होगा कि वह टावर से आच्छादित परिसर में सफाई स्वच्छता और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखे।

(3) सेवा प्रदाता कम्पनी के अनुरोध पर विद्युत संयोजन प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।

13–प्रवेश और निरीक्षण की शाक्ति–

अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई भी अधिकारियों या सेवक कोई निरीक्षण खोज माप या जांच करने के प्रयोजन के लिए या ऐसा कार्य निष्पादित करने के लिए जो इस उपविधि के अधीन हो किसी उपबन्ध के अनुसरण के सहायकों या श्रमिको के साथ या उनके बिना किसी परिसर या उस पर प्रवेश कर सकता है।

14–शुल्क का निर्धारण तथा भुगतान की रीति–

(1) इस निमित्त वार्षिक शुल्क और प्रतिभूति एवं अन्य देय शुल्क का निर्धारण सम्बन्धित नगरपालिका द्वारा किया जा सकेगा जो नगरपालिका परिषद् सीमान्तर्गत न्यूनतम रु0 20,000.00 तक प्रति टावर प्रति वर्ष होगी।

(2) वार्षिक शुल्क एकल किश्त में संदेय होगा। जब तक पूर्ण धनराशि का भुगतान न किया जाय तब कि किसी टावर को प्रतिष्ठापित करने परिनिर्मित करने खड़ा करने गाड़ने की अनुमति नही दी जायेगी।

(3) किसी कटौती के न होने पर प्रतिभूति की पूरी धनराशि और कटौती अथवा समायोजन होने पर अवशेष धनराशि अनुज्ञा समाप्त होने की तिथि से एक सप्ताह में वापस कर दी जायेगी।

(4) यह शुल्क उन टावरों पर लागू नही होगा जिनको राज्य सरकार अथवा नगर निकायों द्वारा जन सुविधाए यथा सी0सी0टी0वी0 कैमरे प्रकाश यंत्र आदि लगाने के लिए उपयोग में लाया जा रहा हो।

15–शास्ति और अपराधों का प्रकाशन–

(1) इस उपविधि के उपबन्धो का किसी प्रकार उल्लघंन ऐसे जुर्माने से जो पांच हजार तक हो सका है और उल्लघंन करते रहने की दशा में प्रथम उल्लघंन की सिद्धि के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिस दौरान ऐसा उल्लघंन जारी रहा ऐसे जुर्माने से जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

(2) इस उपविधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को अपराध के लिए निर्धारित धनराशि के आधे से अन्यून और तीन चौथाई से अनाधिक धनराशि वसूल करने पर अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रणमित किया जा सकता है।

गिरीश चन्द्र,
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद्,
कौशाम्बी।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, भरवारी, जनपद कौशाम्बी

09 जुलाई, 2018 ई0

(विज्ञापन कर का निर्धारण) सम्बन्धी आदर्श उपविधि हेतु दिशा-निर्देश

सं0 207/न0पा0परि0भ0/विज्ञापन कर निर्धारण/2018–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 298 तथा उसके साथ अंकित सूची-1 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद भरवारी, जनपद–कौशाम्बी उपविधि बनाने का प्रस्ताव करता है उसका प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा 301 की अपेक्षानुसार समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए और उसके सम्बन्ध में आपत्तियां और सुझाव आमन्त्रित करने की दृष्टि से समस्त नगरवासियों व प्रभावी व्यक्तियों/समूह से अपेक्षा है कि प्रकाशन दिनांक से 01 माह के अन्दर अपने सुझाव व आपत्तियां नगरपालिका परिषद भरवारी कार्यालय को प्राप्त करायें जिससे उन पर विचारोपरान्त समुचित निर्णय किया जा सके। समयावधि पश्चात् कोई भी आपत्ति स्वीकार नही की जायेगी के सम्बन्धित प्रकाशन हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र "युनाइटेड भारत" में दिनांक 10 जुलाई, 2018 व "दैनिक जागरण" में दिनांक 10 जुलाई, 2018 को प्रकाशित कर आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये गये थे परन्तु निर्धारित अवधि के अन्दर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव इस कार्यालय को प्राप्त नही हुए।

अतएव नियमावली नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 131(1) के अपेक्षानुसार सरकारी गजट में सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है। जो प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–(1) यह उपविधि नगरपालिका परिषद् भरवारी, जनपद कौशाम्बी (विज्ञापन कर का निर्धारण और वसूली विनियमन) उपविधि, 2018 कही जायेगी।

(2) यह नगरपालिका परिषद भरवारी, जनपद कौशाम्बी की सीमा पर लागू होगी।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने की दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2–परिभाषायें–(1) जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(एक) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।

(दो) ''विज्ञापनकर्ता'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे इस उपविधि के अधीन कोई विज्ञापन प्रतीक या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने के लिये लिखित अनुमति प्रदान की गयी हो, और ऐसे व्यक्ति में उसका अभिकर्ता, प्रतिनिधि या सेवक सम्मिलित है और भूमि तथा भवन का स्वामी भी सम्मिलित है;

(तीन) ''विज्ञापन प्रतीक'' का तात्पर्य विज्ञापन के प्रयोजनों के लिये या तत्सम्बन्ध में सूचना देने के लिये या जनता को किसी स्थान, व्यक्ति, लोक निष्पादन, वस्तु या वाणिज्यिक माल, जो भी हो, के प्रति आकर्षित करने के लिये किसी सतह या संरचना से है, जिसमें ऐसे प्रतीक अक्षर या दृष्टांत अनुप्रयुक्त हों और द्वारों के बाहर किसी भी रीति, जो भी हो, से सम्पदर्शित हो, और उक्त सतह या संरचना या किसी भवन से संलग्न हो, उसका भाग हो या उससे संयोजित हो, या जो किसी वृक्ष या भूमि या किसी खम्भे, स्क्रीन बाड़ या विज्ञापन पट्ट से जुड़ी हो या जो खाली स्थान पर संप्रदर्शित हो;

(चार) ''विज्ञापन'' का तात्पर्य विज्ञापन प्रतीक के माध्यम से विज्ञापन करने से है;

(पांच) ''गुब्बारा'' का तात्पर्य गैस से भरे हुए ऐसे किसी गुब्बारे से है जो भूमि पर किसी बिन्दु से बंधा हो और कपड़े आदि के किसी करहरे से या उसके बिना हवा में लहरा रहा हो;

(छः) ''पताका'' (Banner) का तात्पर्य ऐसी किसी नम्य वस्तु से है, जिस पर कोई प्रतिकृति या चित्र संप्रदर्शित किये जा सकते है;

(सात) ''पताका वज्ञापन'' का तात्पर्य किसी ऐसे प्रतीक से है जिसमें पताका या झण्डी उपयोग प्रदर्शन सतह के रूप में किया जाता हो;

(आठ) ''नगर पालिका'' से तात्पर्य यथास्थिति नगरपालिका परिषद भरवारी, जनपद कौशाम्बी से है;

(नौ) ''विद्युतीय विज्ञापन'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जिसें विद्युतीय साज-सज्जे, जो प्रतीकों के महत्वपूर्ण अंग है, प्रयुक्त किये जाते हैं;

(दस) ''भू-विज्ञापन'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ न हो, और जो भूमि या किसी खम्भे, स्क्रीन, बाड़ा या विज्ञापन पट्ट पर परिनिर्मित या चित्रित हो और जनता के लिये दृश्य हो;

(ग्यारह) ''प्रदीप्त विज्ञापन'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो स्थायी या अन्यथा हो और जिसकी कार्यप्रणाली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकाश द्वारा उसे प्रदीप्त किये जाने पर आधारित हो;

(बारह) ''शामियाना विज्ञापन'' का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी शामियाना वितान या ऐसी अन्य आच्छादित संरचना से सम्बद्ध हो या उससे टंगा हुआ हो जो किसी भवन से बाहर निकला हुआ हो ओर उससे अवलम्बित हो तथा जो भवन की दीवार एवं भवन की सीमा रेखा से बाहर की ओर हो;

(तेरह) ''प्रक्षेपित विज्ञापन'' का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ हो और उससे 300 मिली मीटर से अधिक बाहर की ओर हो;

(चौदह) ''मार्गाधिकार'' का तात्पर्य सड़क के प्रयोजनार्थ सुरक्षित और संरक्षित भूमि की चौड़ाई से है;

(पन्द्रह) ''छत विज्ञापन'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी भवन की प्राचीर या छत के किसी भाग पर या उसके ऊपर परिनिर्मित हो या रखा गया हो जिसमें किसी भवन की छत पर चित्रित विज्ञापन सम्मिलित है;

(सोलह) ''अनुसूची'' का तात्पर्य इस उपविधि से संलग्न अनुसूची से है;

(सत्रह) ''प्रतीक संरचना'' का तात्पर्य किसी ऐसी संरचना से है जिसमें कोई प्रतीक अवलम्बित हों;

(अठ्ठारह) ''कर'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) में निर्दिष्ट विज्ञापन कर से है;

(उन्नीस) ''अस्थायी विज्ञापन'' का तात्पर्य अवकाश दिवसों या लोक प्रदर्शनी हेतु अलंकारिक प्रदर्शनों सहित, किसी सीमित अवधि के प्रदर्शन के लिये वांछित किसी विज्ञापन, झण्डा या वस्त्र, कैनवास, कपड़े या किसी संरचनात्मक ढांचा से या उसके बिना किसी अन्य हल्की सामग्री से निर्मित अन्य विज्ञापन युक्ति से है;

(बीस) ''बराण्डा प्रतीक'' का तात्पर्य किसी बराण्डा से सम्बद्ध, उससे संयोजित या उससे टांगे गये किसी विज्ञापन से है;

(इक्कीस) सचल विज्ञापन से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है, जो किसी वाहन या अन्य साधनों से भ्रमण कर प्रदर्शित किया जाता है।

(2) इस उपविधि में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम में परिभाशित शब्दों और पदों के वहीं अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये समनुदेशित हों।

(3) **स्थल चयन के लिये समिति का गठन**–(1) अधिशासी अधिकारी की अध्यक्षता में विज्ञापन प्रतीक या विज्ञापन पट्ट के लिये उचित और उपयुक्त स्थलों की पहचान करने के लिये और उसके आकार, ऊँचाई और सौन्दर्यात्मक पहलू का विनिश्चय करने के लिये नगरपालिका में एक समिति का गठन किया जायेगा।

(2) समिति में निम्नलिखित होंगे–

(एक)	अधिशासी अधिकारी	अध्यक्ष
(दो)	नगर में यातायात का प्रभारी राजपत्रित प्राधिकारी	सदस्य
(तीन)	परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	सदस्य
(चार)	अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
(पांच)	नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग का अधिकारी	सदस्य
(छः)	परिवहन विभाग का एक अधिकारी	सदस्य
(सात)	सचिव, विकास प्राधिकरण	सदस्य
(आठ)	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का प्रतिनिधि	सदस्य
(नौ)	भारतीय रेल का एक प्रतिनिधि	सदस्य
(दस)	निगम का यातायात अभियन्ता या कोई अधिकारी जो अधिशासी अभियन्ता की श्रेणी से निम्न न हो।	सदस्य

टिप्पणी–नगर आयुक्त किसी अन्य सदस्य को सहयोजित कर सकता है, जैसा वह उचित समझे।

(3) कम से कम दो प्रख्यात दैनिक समाचार-पत्रों में विज्ञापन कर की समिति द्वारा अभिज्ञानित स्थलों पर अनुज्ञा प्रदान करने के लिये नगर आयुक्त द्वारा आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। विज्ञापन में प्रत्येक प्रस्तावित स्थल के सम्बन्ध में नगर आयुक्त द्वारा नियत न्यूनतम प्रीमियम विनिर्दिष्ट होनी चाहिये।

(4) स्थलों की पहचान और समिति की संस्तुति के पश्चात् ही विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों की अनुज्ञा दी जायेगी।

4–प्रतिषेध–(1) अधिशासी अधिकारी से पूर्व में लिखित अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति नगरपालिका की सीमा के भीतर किसी भवन, पुल, मार्ग, फुटपाथ, उपरिगामी सेतु या उससे संलग्न भूमि या वृक्ष रक्षक, नगर प्राचीर, बाउण्ड्रीवाल, नगरद्वारा, विद्युत या टेलीफोन के खम्भे, चल वाहनों या किसी भी खुले स्थान पर कोई विज्ञापन या किसी प्रकार की सूचना या चित्र, जिससे किसी सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति को विज्ञापन होने का आभास हो, न तो परिनिर्मित करेगा, न प्रदर्शित करेगा, न संप्रदर्शित करेगा, न चिपकायेगा न लगायेगा न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटकायेगा।

(2) नगर पालिका की सीमाओं के भीतर किसी भूमि या भवन का स्वामी या अन्यथा अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति अधिशासी अधिकारी की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसी भूमि या भवन के किसी भाग पर कोई विज्ञापन न तो परिनिर्मित करेगा, न प्रदर्शित करेगा, न सम्प्रदर्शित करेगा, न लगायेगा, न चिपकायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटकायेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे भवन या भूमि पर कोई विज्ञापन परिनिर्मित करने देगा, न प्रदर्शित, न सम्प्रदर्शित, न लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या न लटकाने देगा, यदि ऐसा विज्ञापन किसी सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक मार्ग से दृश्य हो।

(3) कोई विज्ञापन पट्ट इस रीति से प्रतिष्ठापित नही किया जायेगा कि यातायात के संचालन में अग्र एवं पार्श्व भाग के दर्शित होने में कोई व्यवधान हो।

(4) राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के दाहिनी ओर से दृष्टिगोचर कोई विज्ञापन पट्ट, प्रतिस्थापित नहीं किया जायेगा।

(5) कोई विज्ञापन पट्ट नियम-16 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट मार्गों के सिवाय अन्य मार्गो के छोर के यथा निर्धारित दूरी अर्थात् 10 मीटर के भीतर प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा।

5–अनुज्ञा प्रदान करने की प्रक्रिया–(1) अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये प्रत्येक आवेदन अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट चिन्हित प्रपत्र में किया जायेगा, जिसे अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद भरवारी, जनपद कौशाम्बी द्वारा निर्धारित धनराशि का भुगतान करके नगरपालिका परिषद् भरवारी के कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा या नगरपालिका परिषद के वेबसाइट से डाउनलोड किया जाता है, तथापि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन-पत्र के मूल्य की रसीद आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी–

(क) प्रतीक की लम्बाई, ऊँचाई और भार को दर्शाते हुए पूर्ण विशिष्टयां अवस्थिति जहां इस विनिर्मित किया जाना है, विनिर्माणकर्ता का नाम नाम और पता जहां प्रयोज्य हो वहॉ प्रकाश पूंजी संख्या और उसके विद्युतीय विवरण, ऐसे प्रपत्र 1:500 के पैमाने पर चित्रित प्रतीक की स्थल पर स्थिति को इंगित करने वाले अवस्थिति मानचित्र से संलग्न होगा;

(ख) पूर्ववर्ती के अतिरिक्त छत-विज्ञापनों, प्रक्षिप्त विज्ञापनों या भू-विज्ञापनों के मामले में सहायक किया विधियों और स्थिरक-स्थानों के समस्त घटक और यदि अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद भरवारी जनपद कौशाम्बी द्वारा अपेक्षित हो, तो आवश्यक अभिकल्प संगणनायें आवेदन-पत्र में प्रस्तुत की जायेगी;

(ग) कोई अन्य विशिष्यां जो अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद् भरवारी, जनपद कौशाम्बी द्वारा अपेक्षित हों;

(घ) गुब्बारा विज्ञापनों के मामलों में अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद् भरवारी, जनपद कौशाम्बी द्वारा यथा अपेक्षित आवश्यक सूचना उपलब्ध करायी जा सकती है।

(3) यदि विज्ञापन किसी सार्वजनिक मार्ग के पार्श्व भाग पर या किसी निजी परिसर में कोई संरचना लगाकर प्रदर्शित किया जाना या संप्रदर्शित किया जाना वांछित हो तो ऐसे आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित विवरण भी प्रस्तुत किया जायेगा–

(क) विज्ञापन और प्रस्तावित संरचना के आकार का विवरण;

(ख) अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद भरवारी, जनपद कौशाम्बी द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित संरचना अभियन्ता से सुदृढ़ता सम्बन्धी रिपोर्ट, आवेदन, आवश्यक चित्रों और संरचना-संगणनाओं सहित नगर आयुक्त द्वारा सम्पक् रूप से अनुमोदित संरचना अभियन्ता के माध्यम से किया जायेगा। अभिकल्प संगणनाओं में लिया गया वायु भार राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के भाग-4 ''संरचना अभिकल्प धारा 1 भार, बल और प्रभाव'' मे अनुसार होगा।

(4) यदि विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी निजी भूमि या भवन या उसके किसी भाग पर परिनिर्मित किया जाना, प्रदर्शित किया जाना, लगाया जाना, चिपकाया जाना, लिखा जाना, चित्रित किया जाना या लटकाया जाना, वांछित हो और आवेदक ऐसी भूमि या भवन का स्वामी न हो तो आवेदन-पत्र में ऐसी भूमि या भवन के स्वामी की लिखित अनुज्ञा संलग्न होगी।

(5) उपनियम (4) में निर्दिष्ट भूमि या भवन के प्रत्येक स्वामी को यह लिखित समझौता करना होगा कि किसी व्यतिक्रम की स्थिति में वह विज्ञापनकर्ता हेतु देयकर का भुगतान करने के लिये दायी होगा।

(6) यदि भूमि का कोई स्वामी अपनी निजी भूमि पर विज्ञापन संप्रदर्शित करना चाहे तो उसे आवेदन-पत्र के साथ विस्तृत सूचना प्रस्तुत करना होगा और इस उपविधि के अधीन अनुज्ञा लेनी होगी।

(7) यदि कोई व्यक्ति किसी ट्री-गार्ड को परिनिर्मित करने की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे ट्री-गार्ड पर कोई विज्ञापन प्रदर्शित या सम्प्रदर्शित करता है तो वह इस उपविधि के अधीन कर भुगतान करने तथा पौधारोपण और उनके समुचित रख-रखाव और सुरक्षा का दायी होगा।

(8) अनुज्ञा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान की जायेगी जो नगर आयुक्त द्वारा लोक सुरक्षा और शिष्टाचार के हित में अधिरोपित की जायेगी।

(9) प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तावित प्रीमियम की पूर्ण धनराशि संलग्न होगी।

6–अनुज्ञा प्रदान की शर्तें–(1) किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने की अनुज्ञा निम्नलिखित निबन्धन एवं शर्तों पर प्रदान की जायेगी कि–

(क) अनुज्ञा केवल उस अवधि तक के लिये प्रभावी होगी जिस अवधि के लिये प्रदान की गयी हो, परन्तु कर या प्रीमियम सहित कर, इस उपविधि के अनुसार संदत्त और जमा किया गया हो;

(ख) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट पर ऐसी रंगों और आकारों में लिखा जायेगा, चिपकाया जायेगा, समुद्रभूत किया जायेगा, चित्रित किया जायेगा जैसा कि नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जाये और विज्ञापन पट्ट, चाहे भूमि पर या भवन पर प्रतिष्ठापित किया गया हो, की ऊँचाई 06 मीटर से अधिक नहीं होगी। दो संलग्न विज्ञापन पट्टों के मध्य की दूरी, विज्ञापन पट्ट की चौड़ाई या 6 मीटर, जो भी अधिक हो, से कम नहीं होगी;

(ग) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को समुचित दशाओं में रखा एवं अनुरक्षित किया जायेगा;

(घ) प्रदान की गयी अनुज्ञा अन्तरणीय नहीं होगी।

(ङ) विज्ञापन प्रतीक या विज्ञापन पट्ट की विषय–वस्तु या उसके विवरण में अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद् भरवारी, जनपद कौशाम्बी की लिखित अनुज्ञा के बिना परिवर्तन नहीं किया जायेगा;

(च) विज्ञापनकर्ता ऐसी अवधि, जिसके लिये अनुज्ञा दी गयी थी, की समाप्ति से एक सप्ताह के भीतर विज्ञापन को हटा देंगे या उसे मिटा देंगे;

(छ) विज्ञापन बोर्ड या विज्ञापन पट्ट अनुज्ञात स्थान पर ही प्रतिष्ठापित किये जायेंगे, प्रदर्शित किये जायेंगे, सम्प्रदर्शित किये जायेंगे या परिनिर्मित किये जायेंगे;

(ज) मार्ग के लिये खुली छोड़ी गयी भूमि पैदल चलने वालों, साइकिल वालों के लिये स्वतंत्र और सुरक्षित रूप में चलने के लिये उपलब्ध रहेगी;

(झ) भवनों, यदि कोई हो, जो विज्ञापन और विज्ञापन पट्टों के समीप स्थित हो, के प्रकाश और वातायन में किसी भी रूप में व्यवधान नहीं डाला जायेगा;

(ञ) लोकहित में अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद् भरवारी, जनपद कौशाम्बी को यह अधिकार होगा कि वह अवधि समाप्त होने के पूर्व भी अनुज्ञा-पत्र को निलम्बित कर दे जिसके पश्चात् विज्ञापनकर्ता विज्ञापनों को हटा देगा;

(ट) विज्ञापनों से अवस्थान का कलात्मक सौन्दर्य नष्ट नहीं होना चाहिये;

(ठ) भवन से सम्बन्धित विज्ञापनों से भिन्न विज्ञापनों को ऐसे भवनों यथा चिकित्सालयों, शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक कार्यालयों, संग्रहालयों, धार्मिक पूजा के निमित्त अर्पित भवनों और राष्ट्रीय महत्व के भवनों के समक्ष आने की अनुज्ञा नहीं होगी।

(ड) विज्ञापनों को वृक्षों या काष्ठमय पेड़-पौधों में गाड़ा, बांधा नहीं जायेगा।

(2) अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद् भरवारी, जनपद कौशाम्बी द्वारा प्रदान की गयी लिखित अनुज्ञा या उसका नवीकरण तत्काल समाप्त हो जायेगा–

(क) यदि कोई विज्ञापन या उसका कोई भाग किसी दुर्घटना या किन्हीं अन्य कारण से गिर जाता है;

(ख) यदि कोई परिवर्द्धन, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद् भरवारी, जनपद कौशाम्बी के निर्देश के अधीन उसे सुरक्षित रखने के प्रयोजन को छोड़कर किया जाता है;

(ग) यदि विज्ञापन या उसके भाग में कोई परिवर्तन किया जाता है;

(घ) यदि उस भवन या संरचनाओं में कोई परिवर्द्धन या परिवर्तन किया जाता है जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन परिनिर्मित किया जाता है, और यदि ऐसे परिवर्द्धन या परिवर्तन में विज्ञापन या उसके किसी भाग का व्यवधान सम्मिलित है;

(ङ) यदि ऐसा भवन या संरचना, जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन परिनिर्मित, नियत या अवरुद्ध हो, भंजित या नष्ट हो जाती है।

7–प्रीमियम–(1) अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद् भरवारी, जनपद कौशाम्बी प्रत्येक स्थल के लिये न्यूनतम प्रीमियम धनराशि नियत करेगा।

(2) मुहर बंद लिफाफा में प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिये न्यूनतम सात दिन का समय दिया जायेगा।

(3) प्रस्ताव के साथ उसमें उल्लिखित पूर्ण धनराशि संलग्न होनी चाहिये।

8–आवंटन समिति–(1) अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद भरवारी, जनपद कौशाम्बी की अध्यक्षता में निकाय में एक आवंटन समिति गठित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे–

(एक) निकाय में यातायात का प्रभारी	सदस्य
(दो) निकाय से सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता	सदस्य
(तीन) निकाय में विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट प्रभारी	सदस्य सचिव अधिकारी

(2) समिति इस उपविधि में विनिर्दिश्ट प्रतिमानों के अनुसार आवेदन-पत्रों निविदाओं, प्रस्तावों की संवीक्षा करेगी और तद्नुसार अनुमोदित करेगी।

(3) देय कर सहित प्रीमियम की पूर्ण प्रस्तावित धनराशि जमा करने के पश्चात् उच्चतम प्रस्ताव करने वाले आवेदक को अनुज्ञा प्रदान की जायेगी।

(4) सदस्य सचिव समिति द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित अनुज्ञा आदेश जारी करेगा।

(5) विज्ञापनकर्ता द्वारा नगरपालिका परिषद को अनुमोदित प्रीमियम और विज्ञापन कर की पूर्ण धनराशि की 10 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति धनराशि जमा करने के पश्चात् ही अनुज्ञा आदेश जारी किया जायेगा।

(6) विस्तृत सूचना, अनुदेश और निबन्धन एवं शर्ते अनुज्ञा आदेश में उल्लिखित की जायेगी।

(7) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के लिये प्रत्येक स्थल की नीलामी या निविदा एक ही रूप से उपर्युक्त रीति से की जायेगी।

(8) यदि कोई विज्ञापन निजी भवन या भूमि पर सम्प्रदर्शित किया जाना वांछनीय हो तो अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट देय वार्षिक विज्ञापन कर, विज्ञापनकर्ता द्वारा संदेय होगा।

(9) यदि विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी सार्वजनिक मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग को छोड़कर) या इससे संलग्न भूमि या किसी सार्वजनिक स्थान विद्युत या टेलीफोन खम्भों या ट्री-गार्ड या चहारदीवारी पर सम्प्रदर्शित किया जाना, परिनिर्मित किया जाना या प्रदर्शित किया जाना हो तो अनुसूची-2 में विनिर्दिश्ट वार्षिक कर और उच्चतम प्रीमियम की धनराशि आवेदक द्वारा संदेय होगी।

9–आवेदन-पत्रों की अस्वीकृति के आधार–नियम-4 के अधीन अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये प्रत्येक आवेदन-पत्र निम्नलिखित किसी एक या उससे अधिक आधारों पर अस्वीकृत किया जा सकता है–

(क) आवेदन-पत्र में अपेक्षित सूचना और विवरण अन्तर्विश्ट न हो या वह इस नियमावली के अनुरूप न हो;

(ख) प्रस्तावित विज्ञापन अशिष्ट, अश्लील, घृणास्पद, वीभत्स या आपत्तिजनक प्रकृति का, या नगरपालिका परिषद के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या राजनैतिक अभियान को उकसाने वाला या जनता अथवा किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों हेतु अनिष्टकर या क्षतिकारक प्रभाव डालने हेतु संगणित प्रकृति का हो या ऐसे स्थान पर ऐसी रीति से या किसी ऐसे माध्यम से संप्रदर्शित हो, जैसा कि अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद् भरवारी, जनपद कौशाम्बी की राय में, उसमें किसी पड़ोस की सुविधाओं पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ने या विकृत होने की सम्भावना हो या इसमें आपत्तिजनक लेख या अश्लील, नग्न रेखाचित्र या चित्र या मदोन्मत्तता का कोई प्रतीक अन्तर्विष्ट हो।

(ग) प्रस्तावित विज्ञापन से लोक शांति या प्रशांति में दरार उत्पन्न होने की सम्भावना हो या लोकनीति और एकता के विरुद्ध हो।

(घ) प्रस्तावित विज्ञापन से तूफान या अंधड़ के दौरान जीवन या सम्पत्ति के लिये क्षति उत्पन्न होने की सम्भावना हो;

(ङ) प्रस्तावित विज्ञापन से यातायात में अशांति या खतरा उत्पन्न होने की असंगत होगा;

(च) प्रस्तावित विज्ञापन स्थल तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों से असंगत होगा;

(छ) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी भूमि या भवन पर परिनिर्मित किया जाना या सम्प्रदर्शित किया जाना वांछनीय हो और ऐसी भूमि या भवन के सम्बन्ध में धारा 172 में निर्दिष्ट सम्पत्ति कर आवेदन करने के दिनांक को असंदत्त हो।

10–अनुज्ञा प्रदान करने की रीति–किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, सम्प्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, करने या हस्तांतरित करने हेतु आवंटन समिति की संस्तुति पर निम्नलिखित एक या उससे अधिक रीति से अनुज्ञा प्रदान करना नगर आयुक्त के लिये विधि सम्मत होगा–

(एक) सार्वजनिक नीलामी द्वारा;

(दो) निविदा आमंत्रित करने के द्वारा।

11–अनुज्ञा की अवधि–अनुज्ञा, अनुज्ञा आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के लिये होगी। प्रत्येक ऐसी अनुज्ञा या नवीकरण के दिनांक से अनधिक दो वर्ष की अवधि के लिये ऐसी लिखित अनुज्ञा प्रदान की जायेगी या उसका नवीकरण किया जायेगा।

12–विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट हटाने की शक्ति–(1) यदि कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट इस उपविधि के उल्लंघन में परिनिर्मित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, सम्प्रदर्शित किया जाता है, लगाया जाता है, चिपकाया जाता है, लिखा जाता है, चित्रित किया जाता है या लटकाया जाता है या लोक सुरक्षा के लिये परिसंकटमय या खतरनाक हो या वह सुरक्षित यातायात संचालन हेतु अशांति का कारण हो तो समिति, विज्ञापनकर्ता को किसी नोटिस के बिना उसे हटवा सकती है या मिटवा सकती है और जमा प्रतिभूति से निम्नलिखित धनराशियों की वसूली कर सकती है–

(एक) ऐसे हटाये जाने या मिटाये जाने का व्यय, और

(दो) ऐसी अवधि, जिसके दौरान ऐसा विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट ऐसे उल्लंघन में परिनिर्मित किया गया था, प्रदर्शित किया गया था, संप्रदर्शित किया गया था, लगाया गया था, चिपकाया गया था, लिखा गया था, चित्रित किया गया था या लटकाया गया था, के लिये क्षतियों की धनराशि।

(2) जब कभी कोई विज्ञापन अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद् भरवारी द्वारा किसी नोटिस या आदेश या अन्यथा के परिणाम स्वरूप हटाया जाता है तब ऐसे भवन या स्थल जिस पर या जिससे ऐसा विज्ञापन संप्रदर्शित किया गया था, में किसी क्षति या विकृति को अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद् भरवारी के समाधान पर्यन्त ठीक किया जायेगा। यदि विज्ञापन हटाये जाने के दौरान मार्ग की सतह/पगडण्डी/यातायात संकेतक या कोई अन्य लोक उपयोगिता की सेवायें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो विज्ञापनकर्ता से वसूल की गयी धनराशि को नगरपालिका परिषद् द्वारा सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर दिया जाना चाहिये।

13–विज्ञापन पर निर्बन्धन–(1) किसी संविदा या करार में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित नहीं किया जायेगा, प्रदर्शित नहीं किया जायेगा, सम्प्रदर्शित नहीं किया जायेगा, लगाया नहीं जायेगा, चिपकाया नहीं जायेगा, लिखा नहीं जायेगा, चित्रित नहीं किया जायेगा या लटकाया नहीं जायेगा, यदि–

(एक) यह आकार में 12.2 मीटर * 6.1 मीटर से अधिक हो और इसका तल आधार भू-तल से ऊपर 02 मीटर से कम हो;

(दो) यह किसी मार्ग, मार्ग संधियों या सेतुओं के अनुप्रस्थ भाग के मध्य से होते हुए मार्ग से मापे गये 50 मीटर के अन्तर्गत किसी स्थान पर अवस्थित हो;

(तीन) यह मार्ग के समानान्तर न हो या इससे स्थानीय या पैदल चलने वाले यातायात में बाधा उत्पन्न होती हो या बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना हो;

(चार) नियम-3 के अधीन गठित समिति की राय में प्रस्तावित स्थल विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के लिये अनुपयुक्त हो;

(पांच) यह मार्ग के उस पार एवं मार्ग पटरी/पगडण्डी पर रखा गया हो;

(छः) यह किसी निजी परिसर के बाहर क्षेपित हो, जिस पर यह इस प्रकार परिनिर्मित, प्रदर्शित या संप्रदर्शित हो;

(सात) यह ऐतिहासिक या राष्ट्रीय स्मारकों सार्वजनिक भवनों और दीवारों, चिकित्सालयों, शैक्षणिक संस्थाओं, सार्वजनिक कार्यालय और पूजा स्थलों के चारों ओर अवस्थित हो;

(आठ) स्थल नियम-22 के अधीन इस प्रयोजनार्थ निकाय या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित प्रतिशिद्धि क्षेत्र के भीतर पड़ता हो।

(2) विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों को निम्नलिखित रूप से अनुज्ञा नहीं दी जायेगी–

(एक) ऐसी रीति से और ऐसे स्थानों पर जिससे कि यातायात के पहुँचने, संविलीन होने या प्रतिच्छेदित होने की दृष्यता में बाधा या व्यवधान उत्पन्न होता हो;

(दो) राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के दॉयी ओर मार्ग के भीतर और राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के यान मार्ग के छोर के 10 मीटर के भीतर;

(तीन) किसी लोक प्राधिकरण यथा यातायात प्राधिकरण, लोक परिवहन प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण या लोक निर्माण विभाग या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के आदेशों के अधीन मार्ग से होते हुए यातायात के विनियमन के लिये परिनिर्मित किसी साइनबोर्ड के 50 मीटर के भीतर;

(चार) ऐसे रूप में जिससे लोक प्राधिकरणों द्वारा यातायात नियंत्रण के लिये परिनिर्मित किसी चिन्ह, संकेतक या अन्य युक्ति के निर्वाचन में विध्न व्यवधान उत्पन्न हो;

(पांच) किसी मार्ग के पार लटकाये गये पट्टों, भित्ति पत्रकों, वस्त्र-झण्डियों या पत्रक पर जिनसे चालक का ध्यान विचलित होता हो और या इसलिये परिसंकटमय हो;

(छः) ऐसे रूप में जिससे पैदल चलने वालों के मार्ग में व्यवधान हो और चौराहें पर उनकी दृश्यता बाधित हो;

(सात) जब इनसे स्थानीय सुविधायें प्रभावित हों।

(3) निम्नलिखित प्रकार के प्रदीप्त विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों की अनुज्ञा नहीं होगी–

(एक) विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जिनमें जनसेवा सूचना यथा समय, ताप, मौसम या दिनांक इंगित करने वाले प्रकाशों को छोड़कर कोई चौंधने वाले आन्तरायिक या गतिमान प्रकाश अन्तर्विष्ट है, सम्मिलित है या जो उनके द्वारा प्रदीप्त है;

(दो) ऐसी सघनता या चमक वाले प्रदीप्त विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जिससे चौंध उत्पन्न हो या चालक अथवा पैदल चलने वालों की दृष्टि बाधित होती हो, या जिससे किसी चालन क्रिया में विध्न पड़ता हो;

(तीन) विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट, जो इस रूप में प्रदीप्त हों जिससे कि किसी शासकीय यातायात विज्ञापन पट्ट, युक्ति या संकेतक का प्रभाव बाधित होता हो या क्षीण होता हो।

14–छत के ऊपर के विज्ञापन पट्टों के सम्बन्ध में निर्बन्धन–(1) किसी भवन की छत पर परिनिर्मित, प्रदर्शित या संप्रदर्शित किये जाने वाले विज्ञापनों या विज्ञापन पट्टों के मामले में केवल प्लास्टिक या वस्त्र पत्रक अनुमन्य है;

(2) नियम-6 और नियम-13 के अधीन रहते हुए, किसी भवन की छत पर विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट की ऊंचाई, ऐसे भवन की ऊंचाई की एक-तिहाई से अधिक नहीं होगी। विज्ञापन पट्ट निम्नलिखित प्रकार के हैं–

(क) वैद्युत और प्रदीप्त विज्ञापन
(ख) भू-विज्ञापन
(ग) छत विज्ञापन
(घ) बरामदा विज्ञापन
(ङ) दीवार विज्ञापन
(च) प्रक्षिप्त विज्ञापन
(छ) विशेष प्रकार की छतरी विज्ञापन
(ज) आकाशीय विज्ञापन
(झ) पताका/झण्डी विज्ञापन
(ञ) शामियाना विज्ञापन
(ढ) गुब्बारा विज्ञापन
(ठ) अस्थायी विज्ञापन
(ड) सचल (मोबाइल) विज्ञापन
(ढ) विविध विज्ञापन

15–दुकानों पर विज्ञापन–किसी दुकान पर कोई भी विज्ञापन अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद् भरवारी की पूर्व अनुमति के बिना और कर के पूर्व भुगतान के बिना दफ्ती लटकाकर, स्टीकर चस्पा करके, पेंटिंग, लेखन द्वारा या किसी अन्य विधि से सम्प्रदर्शन द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण–(एक) यदि बेचे जाने वाली दुकानों के नाम, वस्तुओं या सामानों के नाम, फलक लटकाकर, पेंटिंग द्वारा या किसी भी अन्य विधि से सम्प्रदर्शित या प्रदर्शित किये जायें तो उन्हें विज्ञापन नहीं माना जायेगा और वे इस उपविधि के अधीन कराधेय नहीं होगा।

(दो) यदि किसी वस्तु का उल्लेख हो और उसमें दुकान के नाम के साथ उसके गुण आदि का विवरण हो और सामान्य जनता का ध्यान विज्ञापन के रूप में स्वतंत्र रूप से आकर्शित कर रहा हो तो वह इस उपविधि के अधीन कराधेय होगी।

16–मार्गाधिकार (राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग को छोड़कर) के भीतर अनुज्ञा प्राप्त विज्ञापन–उसकी क्षमता, क्षेत्र के सम्पूर्ण सौन्दर्य बोध और सार्वजनिक सुरक्षा पर निर्भर करते हुए निम्नलिखित विज्ञापन को मार्गाधिकार के भीतर, राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग को छोड़कर अनुज्ञा प्रदान की जायेगी–

(1) मार्ग प्रकाश खम्भों पर विज्ञापन,

(2) बस शेल्टर पर विज्ञापन,

(3) स्थानों की पहचान के लिये महत्वपूर्ण जंक्शनों पर विज्ञापन,

(4) यातायात रोटरी क्लब और आइलैण्ड,

(5) मैदानों/पंगडंडियों के किनारे रक्षक पट्टियां,

(6) वृक्ष रक्षक (Tree Guards)

(7) पुष्प पात्र स्टैण्ड्स (Floer pot stands)

17–छूट–(1) इस नियमावली की कोई बात निम्नलिखित विज्ञापनों एवं विज्ञापन पट्टों पर लागू नहीं होगी–

(एक) यदि किसी कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान का केवल नाम किसी ऐसे विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाता है, जो ऐसे कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान पर परिनिर्मित या संस्थापित किया गया हो।

(दो) यदि किसी आवासीय भवन के स्वामी का केवल नाम व पता ऐसे भवन से लगे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाये।

(तीन) किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी कार्यालय का नाम व पता ऐसे परिसरों के भीतर रखे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाये।

(चार) यातायात विभाग द्वारा प्रदत्त सभी यातायात विज्ञापन पट्ट, सिग्नल्स, यातायात चेतावनी और संदेश, किसी न्यायालय के आदेश या निर्देशों के अधीन सम्प्रदर्शित सभी नोटिस, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को इंगित करने वाले सभी विज्ञापन पट्ट, परन्तु इनकी माप 0.6 मीटर * 0.6 मीटर से अधिक न हो।

(पांच) यदि विज्ञापन पट्ट किसी भवन की खिड़की के भीतर प्रदर्शित किये जायें किन्तु उसमें भवन का प्रकाश व संवातन प्रभावित न हो।

(छः) यदि यह ऐसी भूमि या भवन, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है, के भीतर चलाये जा रहे व्यापार या कारबार से या ऐसी भूमि या भवन के विक्रय, मनोरंजन या बैठक या अक्षरांकन या उसके भीतर किसी अन्य कार्य से या किसी ऐसी ट्रमकार, ओमनी बस या अन्य वाहन, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता हो, के स्वामी द्वारा चलाये जा रहे व्यापार या कारबार से सम्बन्धित हो, परन्तु यह 1.2 मीटर 2 से अधिक न हो।

(सात) यात्रा मार्ग निर्देश।

(आठ) राजमार्ग विज्ञापन पट्ट।

18—अस्थायी विज्ञापन—(1) अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद् भरवारी उसे ऐसे निबन्धन एवं शर्तों पर और ऐसी दर पर, जिसे वह उचित समझे, कर के भुगतान पर अस्थायी विज्ञापन प्रतीक परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, सम्प्रदर्शित करने, लगाने, चस्पा करने, लिखने, रेखांकन करने या लटकाने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते है।

(2) प्रत्येक ऐसी अनुज्ञा के दिनांक से एक माह तक के लिये विधिमान्य होगी। ऊपर उल्लिखित अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञा को अग्रेतर एक माह के लिये बढ़ाया जा सकता है यदि अनुज्ञा की आवश्यकता किसी अग्रतर अवधि के लिये हो तो नगर आयुक्त के समक्ष स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

19—विशेष नियन्त्रण का क्षेत्र—(1) जब अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद् भरवारी की राय में इस उपविधि में निबन्धनों के अनुसार अन्यथा अनुज्ञात विज्ञापन युक्ति से निगम के अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी विशिष्ट क्षेत्र को क्षति पहुंचने या उसके विरुपित होने की सम्भावना हो, तो वह ऐसे को विशेष नियन्त्रण क्षेत्र घोषित कर सकता है। पार्कों और भूमि को भी विशेष नियन्त्रण क्षेत्र के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है।

(2) उपनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे क्षेत्र के भीतर किसी विज्ञापन का परिनिर्माण और प्रदर्शन निषिद्ध किया जायेगा या किसी प्रकार से सीमित किया जायेगा, जैसा कि अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद् भरवारी द्वारा आवश्यक समझा जाये। अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद् भरवारी निकाय की अधिकारिता वाले क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले किसी एक या अधिक समाचार-पत्रों में, ऐसे क्षेत्र की घोषणा करने के सम्बन्ध में अपने आशय को प्रकाशित करेगा। ऐसे क्षेत्र के भीतर सम्पत्ति का कोई स्वामी, जो ऐसी घोषणा से व्यथित अनुभव करे, ऐसे क्षेत्र की घोषणा के विरुद्ध ऐसे प्रकाशन से एक प्रकाशन से एक माह के भीतर अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद् भरवारी को अपील कर सकता है, जिसका विनिश्चय निर्णायक होगा।

(3) किसी बरामदा विज्ञापन की शब्दावली, विशेष नियंत्रण के किसी क्षेत्र में नगर आयुक्त द्वारा अनुमत हो, स्वामी या फर्म के नाम तक सीमित होगी, जो उस परिसर का अध्यासी हो, भवन या संस्था का नाम, चलाये जा रहे साधारण व्यवसाय या व्यापार का नाम जैसे कि ''ज्वैलर्स'', ''कैफे'', ''डासिंग'' या भवन के प्रवेश की स्थिति के सम्बन्ध में सूचना हो सकती है या सिनेमा या नाटक कार्यक्रम के सम्बन्ध में या इसी प्रकार की कोई सूचना हो सकती है। किसी भी बरामदे के विज्ञापन के विशेष नियंत्रण के किसी क्षेत्र में व्यापार की किसी विशिष्ट वस्तु का विज्ञापन नहीं होगा और न ही मूल्य या मूल में किसी से सम्बन्धित ऐसा कोई विज्ञापन होगा।

(4) विशेष नियंत्रण के क्षेत्र से तीस मीटर दूरी के भीतर, उपनियम (3) में दिये गये, के सिवाय सामान्यतया कोई अन्य विज्ञापन पट्ट नहीं होगा।

20—निषिद्ध क्षेत्र की घोषणा—निगम/पालिका परिषद् या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या केन्द्र सरकार किसी क्षेत्र या किन्हीं क्षेत्रों को विज्ञापन या विज्ञापन पट्टों का परिनिर्माण, प्रदर्शन, सम्प्रदर्शन, लगाना, चिपकाना, लेखन, आरेखण या लटकाने के लिये निषिद्ध घोषित करें।

21—झण्डियों पर रोक—(1) कोई भी व्यक्ति अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद् भरवारी से पूर्व में प्राप्त लिखित अनुज्ञा के बिना किसी झण्डी का प्रदर्शन, सम्प्रदर्शन या लटकाने की क्रिया नहीं करेगा।

(2) कोई भी अनुज्ञा, निकाय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा निषिद्ध क्षेत्र के रूप में निर्धारित क्षेत्र में, इस उपविधि के अधीन प्रदान नहीं की जायेगी।

(3) इस उपविधि के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाला कोई भी ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद् भरवारी द्वारा अधिरोपित की जाये और वह प्रति झण्डी दो सौ रुपये से कम नहीं होगी।

(4) अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद् भरवारी इस नियम में निर्दिष्ट झण्डी को हटा सकता है और उसे समपहत या विनिष्ट कर सकता है।

22—अनुरक्षण और निरीक्षण—(1) अनुरक्षण—सभी विज्ञापन जिनके लिये अनुज्ञा अपेक्षित है, अवलम्बों, बंधनी, रस्सा और स्थिरक के साथ भली प्रकार मरम्मत किये जायेंगे जो कि ढांचागत और कलात्मक दोनों ही दृष्टिकोण से होगी और जब चमकीले या अनुमोदित अज्वलनशील सामग्री से निर्मित नही होंगे तो उन पर मोर्चा लगने से रोकने के लिये रंग-रोगन किया जायेगा।

(2) सुव्यवस्था–प्रत्येक विज्ञापन के स्वामी का यह कर्तव्य और उत्तरदायित्व होगा कि वह विज्ञापन द्वारा छेके गये परिसर में सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखें।

(3) निरीक्षण–प्रत्येक विज्ञापन, जिसके लिये परमिट जारी किया गया हो और प्रत्येक विद्यमान जिसके लिये कोई परमिट अपेक्षित हो, का निरीक्षण प्रत्येक पंचांग वर्ष में कम से कम एक बार किया जायेगा।

23–प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति–अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद् भरवारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई निकाय अधिकारी या सेवक कोई निरीक्षण, खोज, पर्यवेक्षण, माप या जांच करने के प्रयोजन के लिये या ऐसा कार्य निष्पादित करने के लिये जो इस उपविधि द्वारा या तद्धीन प्राधिकृत हो या जो किसी प्रयोजन के लिये आवश्यक हो या इस उपविधि के किसी उपबन्ध के अनुसरण में सहायकों या श्रमिकों के साथ या उनके बिना किसी परिसर में या उस पर प्रवेश कर सकता है; परन्तु–

(एक) सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य के सिवाय और अध्यासी या अध्यासी न हो तो भवन या भूमि स्वामी के युक्तियुक्त दिये बिना इस प्रकार का प्रवेश नहीं किया जायेगा।

(दो) प्रत्येक स्थिति में ऐसी भूमि या भवन से महिला, यदि कोई हो, को हट सकने के लिये पर्याप्त अवसर दिया जायेगा।

24–कर का भुगतान की रीति–अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट देय वार्षिक कर एकल किस्त में संदेय होगा और जब तक पूर्ण धनराशि का भुगतान न किया जाये तब तक कोई विज्ञापन पट्ट या विज्ञापन परिनिर्मित नहीं किया जायेगा।

25–क्षेत्रों का वर्गीकरण–विज्ञापनों पर कर के प्रयोजनार्थ क्षेत्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र को छोड़कर कर वर्गीकरण का विनिश्चय आवंटन समिति द्वारा किया जा सकेगा।

26–विज्ञापन पट्ट हटाये जाने की लागत–नियम 10 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को हटाने या साफ किये जाने की लागत निकाय द्वारा नियत की जायेगा।

27–अपराधों के लिये दण्ड ओर उनका प्रशमन–(1) इस उपविधि के उपबन्धों का किसी प्रकार का उल्लंघन ऐसे जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है और उल्लंघन करते रहने की दशा में प्रथम उल्लंघन की दोष सिद्धि के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जिस दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहा, ऐसे जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

(2) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस उपविधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को अपराध के लिये निर्धारित धनराशि के आधे से अन्यून और तीन चौथाई से अनधिक धनराशि वसूल करने पर अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद् भरवारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रशमित किया जा सकता है।

गिरीश चन्द्र,
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद्,
भरवारी, कौशाम्बी।

सूचना

आम जन सूचित हो कि फर्म मेसर्स अंश फिलिंग स्टेशन, चन्दौसी रोड, बहजोई, जिला सम्भल, जो फर्म निबंधक, उ0प्र0, कार्यालय में क्रम सं0 00494/2018-19, पंजीकरण सं0 SBU0002116 पर दिनांक 18 दिसम्बर, 2018 को पंजीकृत की गयी थी, में श्री विनोद कुमार पुत्र स्व0 ज्ञान प्रकाश, निवासी मौहल्ला पुराना बाजार, बहजोई, जिला सम्भल व अब्दुल कादिर पुत्र अब्दुल वाहिद, निवासी जामिया नगर, ओखला (साउथ) दिल्ली, साझीदार थे, उक्त फर्म विघटित हो गई है और 31 मार्च, 2022 से विघटित मानी जायेगी। यदि कोई व्यक्ति फर्म से या उसके किसी प्रतिनिधि/भागीदार से कोई-कोई संव्यवहार करता है, तब वह स्वयं उत्तरदायी होगा।

विनोद कुमार पुत्र स्व0 ज्ञान प्रकाश, निवासी मौहल्ला पुराना बाजार, बहजोई, सम्भल। अब्दुल कादिर पुत्र अब्दुल वाहिद, निवासी जामियां नगर, ओखला साऊथ, दिल्ली।

विनोद कुमार

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है कि M/s. SYNDICATE MOTORS, 192, DELHI ROAD,

OPPOSITE PLAZA CINEMA, MEERUT-250001 की साझीदारी में श्री श्याम सुन्दर लाल एवं श्री राज कुमार यादव साझीदार थे। दिनांक 31 मई, 2022 को श्रीमती सुनीता यादव फर्म की साझीदारी में सम्मिलित हुई है तथा श्री श्याम सुन्दर लाल फर्म की साझीदारी से अपना-अपना हिसाब-किताब ले देकर अलग हो गये। दिनांक 31 मई, 2022 की संशोधित साझीदारीनामा के अनुसार श्री राज कुमार यादव एवं श्रीमती सुनीता यादव सिंह साझीदार है। यह घोषणा करता हूँ कि एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

राज कुमार यादव,
साझेदार।
M/s. SYNDICATE MOTORS,
192, Delhi Road, Opposite Plaza Cinema,
Meerut-250001.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स डायमण्ड रोड लाइन्स, दीपा सराय सम्भल, तहसील व जिला सम्भल की पंजीकृत फर्म 1-श्री मौ0 बिलाल, 2-मौ0 नाजिर, 3-मौ0 हबीब, 4-श्री बाबू सैफी, 5-हशर उद्दीन के द्वारा निष्पादित की गयी थी फर्म में से 1-मौ0 नाजिर पुत्र, 2-मौ0 हबीब, 3-श्री बाबू सैफी, 4-हशर उद्दीन के रिटायरमेन्ट के पश्चात् दिनांक 27 मई, 2022 को निष्पादित संशोधित पॉर्टनरशिप फर्म के द्वारा फर्म में 3 नये पॉर्टनर 1-श्री कमाल मिनजारूल इस्लाम, 2-मौ0 नूर, 3-श्री अब्दुल कादिर को शामिल किा गया है। फर्म से श्री मौ0 बिलाल, श्री कमाल मिनजारूल इस्लाम, श्री मौ0 नूर एवं श्री अब्दुल कादिर का हिस्सा क्रमशः 80 प्रतिशत, 10 प्रतिशत एवं 5-5 प्रतिशत होगा।

मौ0 बिलाल,
पार्टनर।
मेसर्स डायमण्ड रोड लाइन्स, दीपा सराय
सम्भल, तहसील व जिला सम्भल।

सूचना

फर्म मेसर्स तिरूपति इण्टरप्राइजेज, सी-7, साइट-1 पनकी इण्ड्रिस्टियल एरिया, कानपुर नगर के सभी पार्टनर श्री बृजेन्द्र कुमार अग्रवाल, श्री हर्ष कुमार अग्रवाल, श्री आदर्श कुमार अग्रवाल, श्री अनुज कुमार अग्रवाल ने दिनांक 31 मार्च, 2022 से फर्म को समाप्त करने का निर्णय लिया है।

बृजेन्द्र कुमार अग्रवाल,
पार्टनर,
मेसर्स तिरूपति इण्टरप्राइजेज,
सी-7, साइट-1 पनकी इण्ड्रिस्टियल
एरिया, कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पैन कार्ड नं0 ए0यू0डी0पी0वाई 3536ए में मेरा नाम त्रुटिवश अमरत्व प्रताप यादव अंकित हो गया है जबकि मेरे सभी शैक्षिक अभिलेखों में मेरा नाम मनीष प्रताप यादव पुत्र स्व0 बिरेन्द्र प्रताप यादव है।

उपरोक्त दोनों नाम मेरा ही है। भविष्य में मुझे मनीष प्रताप यादव पुत्र स्व0 बिरेन्द्र प्रताप यादव के नाम से जाना व पहचाना जाय।

मनीष प्रताप यादव,
ग्राम विशुनपुर कला, पो0 धुर्वाजन,
थाना सैदपुर, जिला गाजीपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है कि मेसर्स ओबराय सन्स, 43/4, गोपाल बाटिका, पी0एल0 शर्मा रोड, मेरठ-250001 की साझीदारी में श्री देवेन्द्र सिंह, श्री सुरेन्द्र सिंह, श्री जसप्रीत ओबराय एवं श्री साहिबजी ओबराय साझीदार थे। दिनांक 02 अप्रैल, 2018 को श्री सुरेन्द्र सिंह एवं श्री जसप्रीत ओबराय फर्म की साझीदारी से अपना हिसाब-किताब ले-देकर अलग हो गये हैं। दिनांक 02 अप्रैल, 2018 की संशोधित साझीदार के अनुसार श्री देवेन्द्र सिंह एवं श्री साहिबजी ओबराय साझीदार हैं एवं फर्म का शाखा कार्यालय–''बागपत रोड, अपोजिट ऋषि नगर, मेरठ'' हो गया है। यह घोषणा करता हूं कि एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

देवेन्द्र सिंह,
साझीदार,
मेसर्स ओबराय सन्स, 43/4,
गोपाल बाटिका, पी0एल0
शर्मा रोड, मेरठ- 250001।

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स सॉई इण्टरप्राइजेज, ग्राम व पोस्ट भानौली, तहसील खैर, जिला अलीगढ़-202001 के साझेदारों में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार से है–

फर्म में श्रीमती रेनू पाठक पत्नी श्री रविन्द्र कुमार पाठक निवासी-ग्राम व पोस्ट भानौली, तहसील खैर, जिला अलीगढ़ दिनांक 01 मार्च, 2021 से नई भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गयी हैं तथा पूर्व भागीदार श्री पंकज चौधरी पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम बलीपुर, पोस्ट अण्डला, तहसील खैर, जिला अलीगढ़ फर्म

से दिनांक 01 मार्च, 2021 से अपनी स्वेच्छा से अलग हो गये हैं। अब फर्म में श्री रविन्द्र कुमार पाठक व श्रीमती रेनू पाठक ही भागीदार रह गये हैं।

रविन्द्र कुमार पाठक,

भागीदार,

मेसर्स सॉई इण्टरप्राईजेज,

ग्राम व पोस्ट भानौली, तहसील खैर,

जिला अलीगढ़-202001।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा घर का नाम शान्तनु उपाध्याय है। शैक्षिक अभिलेखों पैन, आधार में मेरा नाम श्रेष्ठ उपाध्याय है त्रुटिवश एल0आई0सी0 की पालिसी सं0 313121042 में मेरा घर का नाम शान्तनु उपाध्याय अंकित हो गया है उपरोक्त दोनों नाम मेरा ही है भविष्य में मुझे श्रेष्ठ उपाध्याय पुत्र राजेन्द्र प्रसाद नि0 13 बी ट्रांस गंगा नगर डांडी प्रयागराज के नाम से जाना पहचाना जाये।

Shresth Upadhyay.

NOTICE

I AARYA DEVA Gupta S/o Satya Prakash Gupta R/o Kasbhara Astal, Powayan, Shahjahanpur, Uttar Pradesh-242401 have changed my name from Aarya Deva Gupta to AARYA D. GUPTAA for all Official purpose in the future.

Aarya D. Guptaa.

पी0एस0यू0पी0—12 हिन्दी गजट—भाग 8—2022 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।